www.dhyeyaias.com

फरवरी 2021 | अंक 04

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 उत्तराखण्ड फ्लैश फ्लड

जलवायु असंतुलन एवं आपदा प्रबंधन

2 भारत एवं चीन के बीच संबंधों में व्यापकता जरूरी

3 बैंकों का निजीकरण : कारण एवं प्रभाव

4 भारत की विनिवेश योजना : अर्थव्यवस्था के लिए कितना कारगर

5 भारत के छोटे एवं सीमांत किसानों की समस्याएं एवं उनका समाधान

6 भ्रामक सूचना एवं दुष्प्रचार : साइबर सुरक्षा के लिए खतरा

7 बजट में शिक्षा के लिए कम आवंटन : चिंता का विषय

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

फरवरी 2021 | अंक 04

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. ➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक ➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक ➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक ➢ आशुतोष सिंह
संपादक ➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग ➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक ➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक ➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक ➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास ➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति ➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक ➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक ➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office
ध्येय IAS®
most trusted since 2003
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
- उत्तराखण्ड फ्लैश फ्लड : जलवायु असंतुलन एवं आपदा प्रबंधन
- भारत एवं चीन के बीच संबंधों में व्यापकता जरूरी
- बैंकों का निजीकरण : कारण एवं प्रभाव
- भारत की विनिवेश योजना : अर्थव्यवस्था के लिए कितना कारगर
- भारत के छोटे एवं सीमांत किसानों की समस्याएं एवं उनका समाधान
- भ्रामक सूचना एवं दुष्प्रचार : साइबर सुरक्षा के लिए खतरा
- बजट में शिक्षा के लिए कम आवंटन : चिंता का विषय

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21
7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23
7 महत्वपूर्ण खबरें 24–29
7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30
7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31
7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 उत्तराखण्ड फ्लैश फ्लड : जलवायु असंतुलन एवं आपदा प्रबंधन

चर्चा का कारण

- हाल ही में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड (flash flood) की घटना जलवायु परिवर्तन के खतरे को इंगित करती है। उत्तराखंड जैसा हिमालयी राज्य भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने या झील के फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमेशा से करता आया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद फ्लैश फ्लड से जान-माल का बहुत नुकसान हुआ। उत्तराखंड में 2013 में भी केदारनाथ मंदिर के ऊपरी इलाके में ग्लेशियर टूटने से सैकड़ों लोगों की जानें गई थीं। जानकारों का मानना है कि इस त्रासदी के संदर्भ में भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए ताकि आपदा आने पर त्वरित बचाव और राहत के कार्य हो सकें।

परिचय

- भारत-चीन सीमा से सटे चमोली जिले के रैणी गांव के समीप ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा में उफान आ गया था। मलबे के साथ बढ़े जलस्तर ने 13 मेगावाट के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। एनटीपीसी के 520 मेगावाट के तपोवन-विष्णुगाड हाइड्रो प्रोजेक्ट का बैराज, विश्रामगृह और आवासीय भवन भी क्षतिग्रस्त हुए। इस आपदा में मानव संपदा को भारी क्षति पहुंची है।

ग्लेशियल झीलों का बढ़ना

- विश्लेषकों के अनुसार चमोली में जो हुआ, उसे जीएलओएफ यानी Glacial Lake Outburst Flood के रूप में देखा जा रहा है। एक ग्लेशियर में एक टूटन बहुत असामान्य घटना नहीं है। बर्फ पिघलने के कारण जब ग्लेशियर खिसकते हैं या पीछे हटते हैं, तो वे एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं, जो पानी से भरी झील बन जाती है। इस ग्लेशियल लेक को हम यानी हिमनद और पहाड़ी झील कह सकते हैं। जब इस तरह की झील टूटती है, तो इसे ग्लेशियल झील के प्रकोप बाढ़ के रूप में जाना जाता है। ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर मीठे पानी के सबसे बड़ा स्रोत हैं। हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र में पिघले हिमनद और हिमपात उपमहाद्वीप में कई नदियों के पानी के स्रोत हैं, और एक अरब से अधिक लोगों को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी प्रणालियों में पानी की बारहमासी आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हिमयुग के बाद से इन ग्लेशियरों का द्रव्यमान और सतह क्षेत्र काफी कम हो गया है। 1850 के बाद वैश्विक तापमान बढ़ना शुरू हुआ।
- 20 वीं शताब्दी में ग्रीनहाउस गैस के स्तर बढ़ने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगी। हिमनद से जुड़े वैज्ञानिकों (glaciologist) का मानना है कि 2070 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि से 45% मध्यम और बड़े ग्लेशियर (10 वर्ग किमी या अधिक) पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इसके अतिरिक्त लगभग 70% छोटे ग्लेशियर के पिघलने की संभावना है। हिमनदों के सिकुड़ने से पूरे हिमालय में बड़ी संख्या में हिमनद झीलें बन गई हैं। इन उच्च ऊंचाई वाली झीलों में से लाखों गैलन पानी पहाड़ों की ढ़लान पर स्थित क्षेत्रों पर आता है तो फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- पिछले कुछ दशकों में ग्लेशियल (Glacial) के पिघलने से ऐसी झीलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2005 में काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (International Centre for Integrated Mountain Development- ICIMOD) के एक अध्ययन में उत्तराखंड में ऐसी 127 झीलों को सूचीबद्ध किया था। हाल के अध्ययनों ने राज्य में ऐसी झीलों की संख्या लगभग 400 बताई गयी है। ग्लेशियोलॉजिस्टों के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से चिंता का कारण है।

आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक

- किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवीय कारणों या हादसे या लापरवाही की वजह से होने वाली विनाशकारी घटना, जिसमें इंसानों की जान जाए या वे प्रभावित हों या संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचे कि प्रभावित इलाके का समुदाय उसका सामना न कर पाए, आपदा कहलाती है। विश्लेषकों ने आपदा को न्यून करने के निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं –
- **निगरानी:** ग्लेशियल झीलों के खतरे से निपटने के लिए पहला कदम है, इनकी और ग्लेशियरों की अधिक सक्रिय और नियमित रूप से निगरानी करना। ग्लेशियोलॉजिस्टों के अनुसार हर ग्लेशियर पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। किन्तु यदि एक या दो बेसिन में ग्लेशियरों की पहचान करते हैं, तो आसानी से आपदा को न्यून किया जा सकता है। लेकिन केवल उपग्रहों और रिमोट सेंसिंग पर निर्भर रहना काफी नहीं है। ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए माप उपकरणों के साथ ग्लेशियोलॉजिस्टों का पहुंचना महत्वपूर्ण है। विश्लेषकों के अनुसार बाथमीट्रिक परिवर्तनों (जल की गहराई मापने के अर्थ में) जल का विस्तार, जल स्तर में परिवर्तन, निर्वहन संतुलन (discharge

balance), द्रव्यमान संतुलन (mass balance) और अन्य विशेषताओं को बहुत बारीकी से मापने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत अधिक श्रमशक्ति और धन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें इन संसाधनों पर निवेश करने में सक्षम होना ही होगा।

- **योजना :** हिमालय एक युवा और अस्थिर पर्वत प्रणाली है, यहाँ तक कि इसकी चट्टानों के अभिविन्यास में मामूली बदलाव भी भूस्खलन का कारण बन सकता है। बांधों के निर्माण जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए किसी भी पर्यावरण प्रभाव आकलन में ग्लेशियरों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। पूरे जलग्रहण क्षेत्रों को प्रभाव मूल्यांकन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। वास्तव में, परियोजना मालिकों को इस तरह के अध्ययन में निवेश करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अवसंरचना विकास, निर्माण और संवेदनशील क्षेत्रों में खुदाई के लिये एक व्यापक रूपरेखा विकसित की जानी चाहिये।
- **शमन :** उत्तराखंड या अन्य हिमालयी राज्यों में विस्तृत परियोजना का विश्लेषण किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त कई संरचनात्मक और भू-तकनीकी उपाय किए जा सकते हैं जिससे इन झीलों से उत्पन्न खतरे को कम किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- यह अधिनियम राहत कार्य में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से सेना व पुलिस पर निर्भरता वाले तरीके की जगह नई शासन संरचना लाया और तैयारी, रोकथाम, जल्द चेतावनी, क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया और बेहतर पुनर्निर्माण की अवधारणा आई। पहले आपदा प्रबंधन का मुख्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय था, जिसे विशेष आपदा प्रबंधन विभाग के साथ गृह मंत्रालय को दे दिया गया।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चार संस्थाएं बनाई गईं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) मुख्य निकाय है, जो आपदा प्रबंधन नीतियां बनाता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) भारत सरकार के ऐसे मंत्रालयों के नामित सचिवों का समूह है, जो आपदा प्रबंधन में शामिल हैं। यह आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है।
- सुप्रशिक्षित राहत कार्य और प्रतिक्रिया संगठन बनाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स (NDRF) बनाई गई। इसमें विभिन्न केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों से जनबल बारी-बारी आता रहता है। प्रत्येक यूनिट एक बल से बनाई जाती है, जैसे ITBP या BSFA अब ऐसी 16 यूनिटें बन चुकी हैं। चौथी संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) है, जो आपदा प्रबंधन विषय पढ़ाने वाले अन्य अकादमिक संस्थानों के साथ प्रशिक्षण और संबंधित शोध पर कार्य करती है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा प्रबंधन संरचना में 36 राज्य या UT आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी हैं, जो बड़ी भूमिका निभाते हैं। सभी 750 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी हैं, जिनके चेयरमैन डिप्टी कमीश्नर होते हैं। राज्यों को भी NDRF की तर्ज पर SDRF बनाना जरूरी है, हालांकि 22 राज्यों ने ही अब तक ऐसा किया है।
- सबसे जरूरी है कि हर केंद्रीय मंत्रालय और स्वतंत्र विभाग को अपनी आपदा प्रबंधन योजना विकसित करता है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) की मदद करे। NDMA ने आखिरी NDMP 2019 में जारी की थी। दिलचस्प यह है कि ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ NDMA के लिए गहन अध्ययन का विषय है और इसे संभालने के लिए दिशा निर्देश तीन महीने पहले ही जारी किए गए थे।
- हालांकि, हर आपदा की परिस्थिति अनोखी होती है। NDMA जिन बड़े मुद्दों को संभाल रहा है, उनमें चेतावनी उपकरणों का विकास और स्थानीय समुदायों का प्रशिक्षण शामिल है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इस कार्यक्रम का जरूरी हिस्सा है और सरकार जल्दी चेतावनी देने की तकनीक को विस्तार देने में प्रयासरत है।

आगे की राह

- पहाड़ी इलाकों के मामले में ज्यादा सैटेलाइट निगरानी और बड़े पैमाने पर सेंसर्स लगाने की आवश्यकता है, ताकि ग्लेशियरों के खिसकने और चट्टानों के निर्माण पर नजर रखी जा सके और समय से पहले चेतावनी मिल सके। भूकंप और बिजली कड़कने जैसे खतरे लगभग कोई चेतावनी नहीं देते। अब भारत में इस बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
- ग्लेशियल झीलों से पानी के क्रमिक और विनियमित निर्वहन के लिए चैनलों का निर्माण करना संभव है, जिससे उन पर दबाव कम हो जाएगा, और बाढ़ की संभावना कम हो जाएगी। यह चैनल पानी की मात्रा को भी कम कर देगा, जो फ्लैश फ्लड में चला जाता है। इसके अलावा, झीलों में अलार्म सिस्टम स्थापित किए जा सकते हैं, जो अतिप्रवाह की स्थिति में बजने लगें। इससे लाभ यह होगा कि नीचे की ओर बसे गाँव में चेतावनी समय से पहुँच जाएगी। इसके अतिरिक्त एक प्रतिक्रिया ड्रिल पर भी काम करना होगा, जैसे हमने चक्रवात और सुनामी के लिए किया है।
- उत्तराखण्ड बाढ़ आपदा, 2013 से सबक लेते हुए सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं पर रवि चोपड़ा का गठन किया था। इस समिति ने ग्लेशियरों के प्रभाव का आकलन किया था। समिति ने सुझाव दिया था कि हिमालय के उच्च क्षेत्रों में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पर्यावरण एवं मानव को भारी क्षति पहुँचा सकते है। ऐसे ये सरकार को इस समिति की सिफारिशों का अनुकरण करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. पहाड़ी इलाकों के मामले में सैटेलाइट निगरानी और बड़े पैमाने पर सेंसर्स लगाने की आवश्यकता है, ताकि ग्लेशियरों के खिसकने और चट्टानों के निर्माण पर नजर रखी जा सके। चर्चा कीजिये

02 भारत एवं चीन के बीच संबंधों में व्यापकता जरूरी

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत चीन संबंधों के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वर्ष 2020 में हुई घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भारत का मानना है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वे आपसी सम्मान, संवेदनशीलता, साझा हित जैसी परिपक्वता पर आधारित हों। चीन ने भारत के संदेश को सकारात्मक लेते हुए साफ किया है कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच पैंगोंग लेक को लेकर समझौता हो गया है और अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति लागू करने की कोशिश है।

परिचय

- भारत और चीन दोनों एक बहुध्रुवीय दुनिया (multipolar world) के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए 'बहुध्रुवीय एशिया' (multipolar Asia) एक आवश्यक घटक है। चूंकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए भारत को स्पष्ट नजरिया और रणनीति बनाने की आवश्यकता है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत तेजी से बढ़ने की क्षमता व बहुपक्षीयता के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे समय में जब एशिया, प्रमुख शक्तियों का जैसे-चीन, भारत, जापान इत्यादि का असाधारण विकास देख रहा है, एशिया की बहु-ध्रुवीयता में भारत की सक्रिय भूमिका का महत्व होगा।
- किन्तु इसके विपरीत विश्लेषकों का मानना है कि चीन एक ऐसा बहुध्रुवीय एशिया नहीं चाहता है, जिसमें शक्तिशाली देशों का समूह हो। वह ऐसी किसी व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें भारत उसकी ''समानांतर शक्ति'' हो। दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की मजबूत भावना है। चीन का मानना है कि शांति, व्यवस्था और सौहार्द्र की सिर्फ एक संभावित गारंटी यह है कि सभी संबद्ध देश यह स्वीकार करें कि शक्तियों के मामले में एक क्रमिक व्यवस्था होनी चाहिए, हर किसी को उस क्रम में उसका स्थान पता होना चाहिए।
- यदि भारत मानता है कि चीन एक ऐसी व्यवस्था को अपनाएगा, जिसमें भारत एक तरह की समानांतर शक्ति हो, तो ऐसा नहीं है। भारत को इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि चीन का क्या रुख है? चीन एक ऐसी स्थिति में रहने की कामना करता है जहां किसी तरह की प्रतिद्वंद्विता या प्रतिस्पर्धा नहीं हो।

भारतीय विदेश नीति में अधिक स्पष्टता

- बदलते भू परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति में अधिक स्पष्टता दिखाई देने लगी है। हमारे पास रूस के साथ एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (special and privileged strategic partnership) है। इसके अतिरिक्त भारत के तीन-चौथाई से अधिक सैन्य उपकरण रूस से आयात किए जाते हैं।
- भारत अपने सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका को अपने पसंदीदा भागीदार के रूप में देखता है। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी (comprehensive global strategic partnership) है, जो दोनों देशों की निकटता को प्रकट करती है। फिर भी भारत का मानना है कि उसे अपनी सामरिक स्वायत्तता से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है।
- हाल के वर्षों में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर जोर देने की बात कही है। जानकारों का मानना है कि भारत द्वारा कुछ अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ एक मजबूत संबंध चीन को सीमित दायरे में रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।
- भारत द्वारा चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मजबूत आपूर्ति शृंखला को विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है। भारत के अन्य सीमा विवादों (पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में) की अनिश्चितता के विपरीत हिंद महासागर में भारत क्वाड सदस्यों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकता है।

भारत के समक्ष कूटनीतिक चुनौती

- भारत से चीन के रिश्ते सुरक्षा और तकनीकी चिंताओं से जुड़े हुए हैं। चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव को नए सिरे से परिभाषित

कर रहा है। वह एक विस्तृत बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को मजबूत कर रहा है, जबकि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को नयी ऊंचाई देने के प्रयास मे लगा हुआ है फिर भी उसे चीन की तुलना में कम सफलता प्राप्त हुई है।

- प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दखल एवं दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका के साथ भारत भी चिंतित है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की एशिया में सैन्य धुरी दक्षिण चीन सागर में चीन को पछाड़ने में विफल रही और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापार शुल्कों की लागत अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों द्वारा वहन की गई।
- वित्तीय क्षेत्र में, चीनी रेन्मिन्बी (Chinese renminbi) वैश्विक आरक्षित मुद्रा बनने की ओर अग्रसर है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान मुद्रा बनने की होड़ में ई-युआन (e-yuan) शामिल है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक अर्थव्यवस्था है। यह जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची (Fortune Global 500 list) में चीन की हॉन्ग कॉन्ग में अधिक कंपनियां हैं। बीआरआई में शामिल देश वित्तीय लेनदेन में रेन्मिन्बी (renminbi) का उपयोग कर रहे हैं। यहां तक कि यूरोपीय संघ ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार के लिए अपने स्वयं के सीमा-पार समाशोधन तंत्र का निर्माण किया। चीन ने यूरोपीय संघ के साथ और अधिकांश एशिया के साथ एक निवेश समझौता किया है।
- आसियान देश बीआरआई के बुनियादी ढांचे, डिजिटल, वित्त और व्यापार लिंकेज से आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आसियान से इतर श्रीलंका इसका ताजा उदाहरण है। चीन की अगुवाई वाले एशियन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 100 देशों में अपनी सदस्यता बढ़ाई है। चीन अब संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता है अर्थात् 'सॉफ्ट पॉवर' को बढ़ाया है।

आगे की राह

- चीन के खिलाफ दो मोर्चों पर लड़ना भारत की अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए भारत को क्वाड देशों की रणनीति में भी अपने हितों को सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि चीन से सबसे ज्यादा आमना-सामना इसी का होगा। सबसे जरूरी है कि भारत इंडो-पैसिफिक में अपनी स्वतंत्र सामरिक नीति को आगे बढ़ाए। किसी भी हालत में उसे यहां अमेरिका का मोहरा बनने से बचना होगा।
- भारत को बीआरआई की काट ढूंदने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को बुनियादी ढाँचे को विकसित कर, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षमता और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा। भारत को एशिया में अपने कद को बढ़ाने के साथ-साथ अफ्रीका क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करना होगा।
- भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तभी प्राप्त कर सकेगा जब वह स्वदेशी सैन्य उपकरणों में बदलाव कर एक नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति को अपनाएगा। भारत को चीन को संतुलित करने के लिए अपने व्यापार समझौते को फिर से नया आकार देने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'भारत को चीन को संतुलित करने के लिए अपने व्यापार समझौते को फिर से नया आकार देने की आवश्यकता है?' परीक्षण कीजिए।

03 बैंकों का निजीकरण : कारण एवं प्रभाव

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव किया है। सरकार के अनुसार 19 जुलाई 1969 में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 51 साल बाद, यह कदम निजी क्षेत्र को बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका देगा।

निजीकरण का प्रस्ताव क्यों?

- केंद्रीय बजट के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की गयी है। इसने चार रणनीतिक क्षेत्रों के लिए एक रणनीतिक बिक्री/विनिवेश नीति की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इसमें बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।
- वर्षों से पूंजीगत उपाय और शासन में सुधार करने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति या तनावग्रस्त संपत्ति (Stressed Assets) का स्तर निजी बैंकों की तुलना में उच्च है। सार्वजनिक बैंक लाभप्रदता, बाजार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान के मामले में भी निजी बैंको से पिछड़ गए हैं।
- सरकार चाहती है कि राज्य स्वामित्व वाले बैंकों को सीमित किया जाये । सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार के अनुसार अन्य बैंकों को या तो मजबूत बैंकों के साथ विलय कर दिया जाएगा या उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। इस निर्णय से सरकार द्वारा बैंकों को साल-दर-साल इक्विटी सहायता नहीं प्रदान करना पड़ेगा।

निजीकरण की प्रक्रिया

- जिन दो बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, उन्हें एक प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा जिसमें नीति आयोग (NITI Aayog) सिफारिशें करेगा, तत्पश्चात विनिवेश और फिर वैकल्पिक तंत्र (या मंत्रियों के समूह) पर सचिवों के एक मुख्य समूह द्वारा विचार किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष मुद्दे

- सरकार द्वारा कुछ बैंकों का विलय और इक्विटी प्रदान करने के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में पिछले कुछ वर्षों में सुधार तो दिखायी दिया है। किन्तु, निजी बैंकों की तुलना में, उनके पास उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (non-performing assets -NPAs) और तनावग्रस्त परिसंपत्तियां (stressed assets) अभी भी ज्यादा हैं।
- आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) के अनुसार कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बैंकों का एनपीए (NPA) बढ़ने के साथ ऋण भुगतान में कमी देखने को मिली है। आरबीआई की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए तुलनात्मक आधार पर सितंबर 2020 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 तक 13.5 प्रतिशत हो सकता है। बैंक समूह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात सितंबर 2020 में 9.7 प्रतिशत था, जो सितंबर 2021 में 16.2 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। वहीं निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 4.6 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत हो सकता है।
- इसका मतलब यह होगा कि सरकार को फिर से सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों में इक्विटी को इंजेक्ट करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार सरकार मजबूत बैंकों को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है साथ ही निजीकरण के माध्यम से कमजोर बैंकों की संख्या को भी कम कर रही है।

भारत में निजी बैंको का प्रदर्शन

- निजी बैंकों की ऋण में हिस्सेदारी 2020 में 21.26% से बढ़कर 36% हो गई है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 74.28% से गिरकर 59.8% हो गया है। आरबीआई ने 1990 के दशक में अधिक संख्या में निजी बैंकों के संचालन को अनुमति दे दी। इसके बाद बैंकों में प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। निजी बैंकों ने नए उत्पादों (new products), प्रौद्योगिकी (technology) और बेहतर सेवाओं (better services) के माध्यम से बाजार में हिस्सेदारी का विस्तार किया है और शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न्स प्रदान किए हैं। एचडीएफसी बैंक (1994 में स्थापित) का बाजार पूंजीकरण 8.80 लाख करोड़ रुपये है, जबकि एसबीआई ने केवल 3.50 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं। देखा जाये तो वर्तमान में भारत में 22 निजी बैंक और 10 छोटे वित्त बैंक हैं।
- हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में निजी बैंकों के प्रदर्शन पर कुछ सवाल उठे हैं, खासकर शासन (governance) के मुद्दों पर। गौरतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की एमडी और सीईओ चंदा कोचर को कथित

रूप से संदिग्ध ऋण देने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। यस बैंक के सीईओ राणा कपूर को आरबीआई द्वारा एक्सटेंशन नहीं दिया गया था और अब विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी विलास बैंक को परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और हाल ही में उसका डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर में विलय हो गया। इसके अलावा जब आरबीआई ने 2015 में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा का आदेश दिया, तो यस बैंक सहित कई निजी क्षेत्र के बैंक, एनपीए की समस्या से ग्रसित पाये गए।

निजीकरण के मुद्दे पर सरकार और आरबीआई का मत

- 2004-14 तक के कार्यकाल में यूपीए सरकार ने निजीकरण पर कोई निर्णय लेने से परहेज किया। बैंकों से संबन्धित कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को 51% से नीचे लाने का प्रस्ताव दिया था। नरसिम्हन समिति ने सरकार की हिस्सेदारी को 33% और पी जे नायक समिति ने सरकार की हिस्सेदारी को 50% से नीचे रखने का सुझाव दिया था। आरबीआई के एक कार्यकारी समूह ने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में व्यावसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया है। जानकरों का मानना है कि एनडीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या को पांच या छह तक कम करने पर जोर दे रही है।
- आरबीआई के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकिंग को समेकित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की संख्या में कभी की गयी । गौरतलब है कि वर्ष 1951 में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 566 से घटाकर 1966 में 91 तक कर दी गई थी। इस प्रकार 1960 के दशक के मध्य तक भारतीय बैंकिंग पहले से कहीं अधिक व्यवहार्य हो गई थी। हालाँकि, इनकी शाखाओं का विस्तार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में था।
- एक व्यापक धारणा है कि निजी क्षेत्र के बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में उतने सक्रिय नहीं थे जितने वे लाभ के प्रति दिखाई देते थे। जानकारों का मानना है कि निजी बैंकों को ऋण पोर्टफोलियो में विविधता का अभाव देखा गया है, ऐसे में लेनदेन लागत बढ़ेगी और लाभ कम होगा।

आगे की राह

- वर्तमान में आईडीबीआई बैंक और एसबीआई के अलावा दस राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। हालांकि सरकार एसबीआई सहित शीर्ष बैंकों के निजीकरण पर जोर नहीं दे रही है बल्कि वह छोटे व मध्यम स्तर के बैंकों के निजीकरण पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री ने यह खुलासा नहीं किया कि इस वित्तीय वर्ष में किन दो बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। फिर भी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। चूंकि निजीकरण का सीधा अर्थ होता है कंपनियों या परिसंपत्तियों का स्वामित्व और प्रबंधन निजी हाथों में चला जाना। उच्च उत्पादकता और संसाधनों के बेहतर आवंटन के उद्देश्य से कार्यक्षमता बढ़ाने के एक साधन के रूप में निजीकरण का उपयोग पूर्व के बजटों का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं रहा था। फिर भी अगर सरकार सचमुच में अर्थव्यवस्था के भीतर कार्यक्षमता में सुधार के लिए निजीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है तो उसे एक जेब से दूसरे जेब में पैसा डालने की इन तरकीबों से बचना होगा।
- बैंकिंग से जुड़े विश्लेषकों का मानना है कि सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण करना समस्या का समाधान नहीं है, निजीकरण से वास्तविक समस्या छिप जायेगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी निजी क्षेत्र के बैंक दिवालिया हुए थे और उनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय किया गया था। सरकारी बैंकों की समस्या प्रशासन और नियामक ढाँचे में व्याप्त विसंगतियों के कारण है।
- सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की बजाए दीर्घकालीन ढांचागत सुधार किये जाने की जरूरत है। सार्वजनिक बैंकों की समस्या केवल प्रभावी व कठोर विनियमन की कमी की है। आज बैंकिंग उद्योग को निजीकरण की नहीं बल्कि सार्वजनिक बैंकों के कामकाज की पारदर्शिता, प्रभावी विनिमयन और निगरानी की जरूरत है, जिससे बैंकों के बढ़ते एनपीए पर नियंत्रण हो सके और उनकी वसूली हो सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की बजाए दीर्घकालीन ढांचागत सुधार किये जाने की जरूरत है। चर्चा कीजिये

04 भारत की विनिवेश योजना : अर्थव्यवस्था के लिए कितना कारगर

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को रणनीतिक विनिवेश की नीति के साथ ही गैर-रणनीतिक एवं रणनीतिक क्षेत्रों की कंपनियों के विनिवेश के लिए स्पष्ट रोडमैप को मंजूरी दे दी है।

विनिवेश से क्या अभिप्राय है?

- सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट (DisInvestment) कहलाती है। कई कंपनियों में सरकार की काफी हिस्सेदारी है, आम तौर पर इन कंपनियों को सावर्जनिक उपक्रम या पीएसयू कहते हैं।
- समय-समय पर सरकार सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला लेती रहती है। अकसर आम बजट में सरकार वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का लक्ष्य तय करती है।
- सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का महत्वपूर्ण जरिया है। शेयर बाजार में अपने हिस्से के शेयर की बिक्री का ऑफर जारी कर सरकार खुदरा और संस्थागत निवेशकों को उस PSU में निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है।
- विनिवेश की इस प्रक्रिया के जरिए सरकार अपने शेयर बेचकर संबंधित कंपनी (PSU) में अपना मालिकाना हक घटा देती है, इससे सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन प्राप्त होता है।
- किसी PSU में विनिवेश प्रक्रिया का एक उद्देश्य उस कंपनी का बेहतर प्रबंधन भी होता है। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) की कंपनियां सिर्फ मुनाफे को ध्यान में रखकर काम नहीं करती, इसलिए कई बार उनके कामकाज में ज्यादा मुनाफा नहीं होता।
- किसी PSU में विनिवेश या तो किसी निजी कंपनी के हाथ शेयर बेचकर किया जा सकता है या फिर उनके शेयर आम लोगों को खरीदने के लिए जारी किए जा सकते हैं। कई बार लोग विनिवेश का मतलब किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।

- निजीकरण और विनिवेश में अंतर है। अगर किसी PSU का निजीकरण किया जा रहा है तो उसमें सरकार अपनी 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट (DisInvestment) की प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा बेच देती है, लेकिन PSU में उसका मालिकाना हक बना रहता है।

रणनीतिक विनिवेश या रणनीतिक बिक्री क्या है?

- जब सरकार किसी सरकारी उद्यम का मालिकाना हक या नियंत्रण किसी अन्य सरकारी या निजी इकाई को देती है, तो इस प्रकिया को रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है। यह काम वित्त मंत्रालय के आधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) करता है।
- दीपम के अनुसार रणनीतिक विनिवेश की परिभाषा कुछ इस प्रकार है-किसी सरकारी या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में 50 फीसदी या उससे अधिक हिस्सेदारी, जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा तय की गई हो, और प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण रणनीतिक विनिवेश के दायरे में आता है।

इस वर्ष के बजट में घोषित रणनीतिक विनिवेश की नीति

- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को साधने में एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम सरकार की खासी मदद कर सकते हैं।
- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कहा कि "सरकार का विनिवेश से प्राप्त धन का उद्देश्य केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रेष्ठ प्रबंधन प्रक्रिया को लागू करना और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा विकास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।"
- वर्ष 2020-21 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है।
- विनिवेश में शामिल रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न चार क्षेत्र आएंगे-
  - परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा
  - परिवहन एवं दूरसंचार

- विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज
- बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं

- वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय ने केंद्र सरकार के कई उद्यमों की रणनीतिक बिक्री को हरी झंडी दिखा दी है। इसमें भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया और उसकी पांच सहयोगी इकाइयां व एक ज्वाइंट वेंचर शामिल हैं। इनमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान प्रीफैब, पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स, भारत अर्थ मूवर्स, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर, सेलम स्टील प्लांट, इंडियन टूरिज्म डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईटीडीसी) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी शामिल हैं।
- आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंकों और साधारण बीमा निगम के निजीकरण को भी वर्ष 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव है।
- जीवन बीमा निगम का आईपीओ भी आवश्यक संशोधन के जरिए इसी सत्र में लाया जाएगा।
- राज्यों को अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लाभ देने की भी घोषणा की गयी है। हालांकि केन्द्रीय कोष से राज्यों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पैकेज को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।
- साथ ही बेकार भूमि से लाभ हासिल करने के लिए विशेष उद्देश्य वाली कंपनी स्थापित करना, सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास बेकार भूमि के रूप में मौजूद परिसम्पत्तियां से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने एक विशेष कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
- इस विशेष कम्पनी का कार्य अनुपजाऊ भूमि का मौद्रीकरण करना है।
- यह कार्य या तो इस भूमि की प्रत्यक्ष बिक्री से अथवा रियायत से अथवा ऐसे ही किसी तरीके से किया जाएगा।
- इसके अलावा सरकार ने बीमार अथवा घाटे में चल रहे केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों को समय पर बंद करना सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित तंत्र लाने का भी प्रस्ताव किया है।

रणनीतिक विनिवेश और विनिवेश के बीच क्या अंतर है?

- किसी सरकारी इकाई की छोटी हिस्सेदारी दूसरी सरकारी या निजी इकाई को बेचना विनिवेश कहलाता है। इस प्रक्रिया में सरकार उद्यम का मालिकाना हक अपने पास रखती है, दूसरी तरफ, जब सरकार किसी उद्यम की बहुसंख्यक हिस्सेदारी बेचती है, तो उसे रणनीतिक बिक्री कहा जाता है।
- इस प्रक्रिया में सरकार इकाई का मालिकाना हक भी दूसरी कंपनी को दे देती है। इसके लिए सरकार को बड़ी सावधानी के साथ बिक्री के लिए उद्यम का चयन करना होता है।

आगे की राह

- अपनी कई चुनौतियों के बीच, सरकार को बिक्री प्रक्रियाओं में विश्वास पैदा करने के साथ-साथ निष्पक्ष मूल्यांकन भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि एक एकल विवादास्पद समझौता भी इस तरह की योजना के पीछे की गति को कम कर सकता है।
- साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की रणनीतिक विनिवेश की प्राप्ति, ब्याज या वेतन भुगतान से नष्ट नहीं हो बल्कि लंबी अवधि के बुनियादी ढांचे की संपत्ति में विवेकपूर्ण रूप से पुनर्निवेशित हो, जो अर्थव्यवस्था में स्थायी लाभ प्राप्त कर सकती है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. विनिवेश से आप क्या समझते है? हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के लिए एक रोड मैप जारी किया है। यह रोड मैप उद्यमों के वित्तीय विकास के लिए किस प्रकार सहायक होगें? चर्चा करें।

05 भारत के छोटे एवं सीमांत किसानों की समस्याएं एवं उनका समाधान

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में सीमांत एवं छोटे किसानों की दयनीय स्थिति की ओर इशारा करते हुए कृषि सुधार कानूनों का बचाव किया। इसके अलावा आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह करते हुए कहा कि यह समय खेती को ''खुशहाल'' बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश में हरित क्रांति आई थी उस समय भी कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों का विरोध हुआ था। उन्होंने जोर देकर कहा, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) जारी रहेगा।
- हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि भारत के छोटे एवं सीमांत किसानों द्वारा सामना की जा रही उन विभिन्न बाधाओं को देखने की जरूरत है जो उनकी भूमि की उत्पादकता और इस तरह उनकी आय को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है।

परिचय

- भारत में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं, जिन्हें अकसर एक हेक्टेयर से भी कम अथवा महज एक से लेकर दो हेक्टेयर तक की कृषि जोत पर ही अपना पसीना बहाने पर विवश होना पड़ता है। भारत में जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनका लगभग 57.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के भरोसे ही अपना जीवन यापन कर रहा है। इनमें से 69 प्रतिशत से भी अधिक परिवारों के पास या तो मामूली कृषि जोत हैं या उन्हीं पर अपना सारा पसीना बहाकर इन परिवारों को किसी तरह अपना जीवन गुजर-बसर करना पड़ता है।
- वहीं, दूसरी ओर 17.1 प्रतिशत परिवारों को छोटी कृषि जोत के भरोसे ही अपना काम चलाना पड़ रहा है। किसी तरह जीवन यापन करने वाले ज्यादातर किसानों के खाद्य उत्पादन के कार्य में ही लगे होने के बावजूद उनके रहन-सहन में सुधार के लिए सरकार द्वारा कोई खास कार्य अब तक नहीं किया गया है।

भारतीय किसान

- 1970-71 में भारत के पूर्ण परिचालन धारकों में से एक-हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों की संख्या 51% थी, जो 2015-16 कृषि जनगणना के दौरान 68 प्रतिशत से अधिक हो गयी। यानी उन किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत कम जमीन है। आज देश में 86 फीसदी ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे 12 करोड़ किसान हैं।

सरकार का लक्ष्य

- वैश्विक कृषि निर्यात बढ़ाने हेतु देश के 2 प्रतिशत हिस्से के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश की आवश्यकता है। इससे कृषि के अंदर जितना निवेश बढ़ेगा, उतना ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे ,किसान आत्मनिर्भर बने, उसे अपनी उपज बेचने की आजादी मिले, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि बाजार के वर्चस्व ने भारत की कृषि में सुधार नहीं किया है, लेकिन बाजारों और संस्थानों का एक संयोजन हो सकता है।
- सरकार का मानना है कि नये कानून लागू होने के बाद ना तो देश में कोई मण्डी बंद हुई है, ना एमएसपी पर रोक लगी है, बल्कि फसलों की खरीद बढ़ी है। ये कानून किसी किसान के लिए बंधन नहीं हैं, बल्कि ये उन्हें विकल्प देते हैं।
- सरकार के अनुसार लॉकडाउन में भी किसानों ने रिकार्ड उत्पादन किया है। सरकार ने भी बीज, खाद, सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी। अतः देश के पास अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
- उपज की रिकार्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अपना एक मूल्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है आत्मनिर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो।

भारत में छोटे किसानों के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत में छोटे किसानों को तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत सहायता हासिल करने के मार्ग में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं-
- औपचारिक ऋण एवं बीमा तक सीमित पहुंच; उन्हें आधुनिक कृषि उपकरणों एवं तौर-तरीकों का समुचित प्रशिक्षण देने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का अभाव; सिंचाई के लिए अपर्याप्त पानी की आपूर्ति; फसल विविधीकरण के लिए बेहद कम या कोई गुंजाइश नहीं; और विपणन सुविधाओं का अभाव।
- वैसे तो छोटे और बड़े दोनों ही किसानों को इनमें से ज्यादातर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कृषि से जुड़े कच्चे माल तक पहुंच के मामले में दोनों की स्थितियां अक्सर एक जैसी नहीं होती हैं। इस मामले में बड़े किसानों को कुछ बढ़त हासिल है। उदाहरण के लिए, छोटे किसानों की तुलना में बड़े किसान सिंचाई के सार्वजनिक (नहर) और निजी (ट्यूबवेल) स्रोतों तक अपनी पहुंच आसानी से सुनिश्चित कर लेते हैं।
- वहीं, छोटे किसान अकसर भूजल पर निर्भर रहते हैं जो पहले ही समाप्त हो चुका है। आवश्यक जानकारी एवं कच्चे माल की प्राप्ति में यह असमानता छोटे एवं सीमांत किसानों को उत्पादकता से जुड़े जोखिमों के मामले में और ज्यादा असुरक्षित बना देती है।

शिक्षा के स्तर पर कृषि उपेक्षित

- एक कृषि प्रधान देश में शिक्षा के हर स्तर में कृषि उपेक्षित है। युवाओं के लिए कृषि प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है शाक वाटिका (किचेन गार्डेनिंग) या कृषि संबंधी प्रशिक्षण

स्कूल स्तर उपलब्ध नहीं है हर नागरिक को ये बताना चाहिए कि भोजन का उत्पादन कैसे होता है, किसान किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं और कृषि से जुड़ा समुदाय कितना लचीला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे किसानों को सम्मानजनक न्यूनतम व सुनिश्चित कमाई होगी।

किसानों को उत्पाद बेचने का अधिकार

- किसानों को अपने उत्पाद किसी भी तरह बेचने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसमें समान अवसर मिलना चाहिए। पिछले एक दशक में ज्यादातर राज्यों ने निजी मंडी की इजाजत दे दी, ठेका खेती की सुविधा दी, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स आर्गनाइजेशन (एफपीओ) और फार्मर-कंज्यूमर मार्केट (एफसीएम) को प्रोत्साहित किया। नियंत्रित तरीके से अंतरराज्यीय व ई-ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाया। लेकिन, दूसरे देशों में अनियंत्रित व मुक्त व्यापार ने किसानों खासकर छोटे किसानों को संकट में डाल दिया। ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ऐसे अनियंत्रित निजी बाजार भारत में दूसरी तरह का परिणाम लाएगा।
- भारत में ही बिहार और गन्ना उद्योग जैसे बहुत उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि मुक्त बाजार अपेक्षाकृत सफल नहीं हो पाया है। भारतीय कृषि की विविधता भरी प्रकृति और कृषि बाजारों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है।
- सामान्य तौर पर जैविक किसानों को अपने उत्पाद बेचने में ज्यादा सहूलियत मिलती है, लेकिन किसान व किसान समूहों को टैक्स और नियंत्रण में छूट देकर व्यापार करने में सहूलियत में निवेश करने की तत्काल जरूरत है। किसानों की मोलभाव की शक्ति को मजबूत किए बिना निजी कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। निजी कंपनियों को लाइसेंसिंग, पारदर्शिता, बैंक गारंटी, तकनीकी सत्यापन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान हितैषी विवाद निपटान तंत्र, बुनियादी ढांचे के विकास के संबंधित अनिवार्यता और खरीद तथा स्टॉक की सीमा तय कर नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- भारतीय संदर्भ में कॉरपोरेट खेती के लिए कोई जगह नहीं है। लैंड होल्डिंग के सिकुड़ते आकार को देखते हुए को-ऑपरेटिव व सामूहिक दृष्टिकोण बेहतरीन लाभकारी विकल्प लगता है। दक्षिणी गुजरात में फल-सब्जी व शुगर को-ऑपरेटिव अच्छा उदाहरण है। एपीएमसी को राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रखते हुए बेहतर नियंत्रण की जरूरत है।
- एपीएमसी की पहुंच समान रूप से हर तरफ होनी ही चाहिए। सभी कृषि पारिस्थितिक किसानों को न केवल रासायनिक खाद (4,500 रुपए प्रति हेक्टेयर) सब्सिडी के रूप में बेहतर प्रोत्साहन मिलना चाहिए बल्कि उच्च कार्बन उत्सर्जन पर रोक, पानी और बिजली के कम इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत में सुधार, वर्षा जल संचयन, मिश्रित खेती के जरिए जैवविविधता के संरक्षण जैसी पर्यावरणीय सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

आगे की राह

- सदियों पुरानी और सिद्धांतों पर आधारित भारत की कृषि पद्धति में नवाचार, कड़ी मेहनत करने वाले और उद्यमी किसानों की पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से सिर्फ कृषि-पारिस्थितिकी आधारित खेती की कई हालिया कहानियां वैज्ञानिक संस्थानों के अपने बड़े नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं, जो राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर निश्चित रूप से भारतीय खेती की दिशा बदल सकती हैं।
- बड़े बदलाव की शुरुआत नीति निर्धारकों की उत्पादन केंद्रित मानसिकता को वहनीयता केंद्रित मानसिकता में तब्दीली के साथ करनी होगी। उनमें अभी कृषि-पारिस्थितिकी मॉडल को लेकर विश्वास नहीं जग सका है। भारत को वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक प्रगतिशील विज्ञान से बनी तकनीक और हमारी अपनी परम्परा का विवेकपूर्ण मिश्रण चाहिए। हरित क्रांति की तरह कृषि पारिस्थितिकी के तहत मिलने वाला तकनीकी पैकेज एक समान और अचानक नहीं हो सकता है। हर खेती अद्वितीय है, इसलिए किसानों को कृषि-पारिस्थितिकी के कुछ बुनियादी सिद्धांतों और आसान तकनीकों से रूबरू कराना चाहिए।
- इसके बाद उन्हें प्रयोग, नवाचार व स्थानीय स्तर पर जो अनुकूल हो उसे लागू करने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये सिद्ध तकनीकों को हतोत्साहित नहीं करता है बल्कि लगातार सुधार के असीमित मौके देता है। तकनीक में प्रगति जरूर जारी रहनी चाहिए। नवाचार और सुधार सभी सफल कृषि-पारिस्थितिक किसानों का बेहद सामान्य चरित्र है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. भारत में छोटे एवं सीमान्त किसानों की मूल समस्या को सम्बोधित करने की आवश्यकता है, तभी उनकी आय को वर्ष 2022 तक दुगुना किया जा सकता है। चर्चा कीजिए।

06 भ्रामक सूचना एवं दुष्प्रचार : साइबर सुरक्षा के लिए खतरा

चर्चा का कारण

- अब तक साइबर सुरक्षा मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और हमारे डिजिटल जीवन को व्यवधान से बचाने और रक्षा तथा बचाव करने पर केंद्रित है। परन्तु वर्तमान में दुष्प्रचार या गलत सूचना का प्रसार इसमें एक बड़ी समस्या बनती जा रही है।
- साइबरस्पेस का मुख्य फोकस मैलवेयर, वायरस, ट्रोजन, बॉटनेट और सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके साइबर हमले से बचाव करना है। परन्तु इन सबके बीच विघटनकारी (गलत सूचनाओं) हमलों से उत्पन्न खतरे पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।
- हालाँकि उद्योग जगत इन हमलों से अलग-अलग और स्वतंत्र तरीकों से निपटते हैं एवं विभिन्न उपायों को लागू करते हैं। साथ ही, इन हमलों से बचाव व सुरक्षा के लिये अलग-अलग टीमें कार्य करती हैं परन्तु टीमों के बीच समन्वय की कमी एक बड़ी समस्या है जिसका प्रभाव साइबर सुरक्षा पर पड़ता है।

दुष्प्रचार या गलत सूचनाएँ

- गलत सूचनाएँ, दर्शकों को गुमराह करने, भ्रमित करने या हेरफेर करने के लिए जानबूझकर प्रसारित की जाती हैं। इन्हें आमतौर पर लोगों के दृष्टिकोण और मान्यताओं को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- गलत सूचनाओं को पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स, जैसे टीवी चैनलों या सोशल मीडिया के माध्यम से नियोजित किया जाता है।
- गलत सूचना हमलों में हेरफेर, गलत संदर्भ, गलत सूचना, डीपफेक का उपयोग होता है।
- डीप फेक ने दुष्प्रचार अभियानों में खतरे का एक नया स्तर जोड़ दिया हैं। उच्चस्तरीय डीप फेक का प्रयोग करके चलाये जाने वाले दुष्प्रचार अभियान लोकतंत्र में लोगों के बीच विभाजन को और बढ़ा सकते हैं, जिससे अराजकता एवं हिंसा का स्तर बढ़ जाता है तथा संपत्ति व जीवन को नुकसान पहुँचता है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर इस सहजता के साथ स्थानांतरित किया जाता है कि यह पता करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि प्रस्तुत फोटो/वीडियो असली है या डीप फेक।
- दुष्प्रचार या गलत सूचनाओं से सामाजिक टूट, व्यापार में रुकावट और सड़कों पर हिंसा बढ़ की संभावना हो जाती है।

संज्ञानात्मक हैकिंग

- एक संज्ञानात्मक हैकिंग लक्षित दर्शकों के विचारों और कार्यों को बदलने का प्रयास करता है तथा गलत सूचना का उपयोग करके सद्भाव को बाधित करता है।
- गलत जानकारी का उपयोग सामाजिक व्यवहार के लिए बड़े पैमाने पर खतरें का कारण बन जाता है।

दुष्प्रचार के प्रसार के कारक

- गलत सुचना या डिसइन्फोर्मेशन के लिए कई कारक जिम्मेदार है:
- समुचित विनियमन का अभाव।
- ऑनलाइन समाचार/ सूचना पोर्टल के खोलने के लिए आवश्यक बाध्यकारी नियमों की कमी।
- सांप्रदायिक एवं वैचारिक स्तर पर ध्रवीकरण के कारण फेक न्यूज का प्रसार आसान हो गया है।
- राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाताओं के ध्रुवीकरण हेतु इन का सहारा लिया जाना।
- ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म विस्तार से फेक न्यूज में और तेजी आई है।
- क्लिक के द्वारा प्रत्येक ऑनलाइन व्यू (view) से लाभ कमाने के मकसद से यह पैसा कमाने का एक माध्यम बन गया है।
- कई बार टीआरपी बढ़ाने के लिए विशुद्ध रूप से फेक न्यूज गढ़े जाते हैं जिसके कारण यह विज्ञापन और राजस्व का एक माध्यम बन गए हैं।

दुष्प्रचार का प्रभाव

- अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में QAnon ने झूठी जानकारी फैला दी। जिससे राष्ट्र में दंगे की स्थिति देखी गई।
- कई लोगों का यह दावा है कि कोरोना

वायरस वुहान में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि चीन ने पिछले साल 5G नेटवर्क को विस्तार दिया था जिसका कई देशों में पुरजोर विरोध किया गया था।

- एक रिपोर्ट के अनुसार 48% साइबर सुरक्षा पेशेवर दुष्प्रचार को खतरा मानते हैं, जबकि शेष 49% का कहना है कि यह खतरा बहुत बड़ा है। सर्वेक्षण में शामिल साइबर सुरक्षा पेशेवरों में से 91% ने इंटरनेट पर कड़े कदम उठाने का आह्वान किया है क्योंकि इससे कई समस्यायें उत्पन्न हो रही है।
- भारत में ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जहाँ 'फेक न्यूज' या झूठी खबर के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई हो।
- भारत में व्हाट्सएप को 'फेक न्यूज' के लिये सबसे अधिक असुरक्षित माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने वाले लोग अकसर खबरों की सत्यता जाने बिना उसे कई लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके कारण एक साथ कई सारे लोगों तक गलत सूचना पहुँच जाती है।
- प्रायः लोग किसी भी खबर के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि वे ऐसी खबरों का उपयोग अपने अनुचित एजेंडे को उचित बनाने के लिये करते हैं।

चुनौतियाँ

- इंटरनेट और सोशल मीडिया की विशालता के कारण यह जानना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है कि किसी खबर की सत्यता क्या है और इस खबर का उद्भव कहाँ से हुआ है।
- सोशल मीडिया कंपनियां अपनी मध्यस्थ भूमिका को बताते हुए इससे किनारा कर लेती हैं।
- दरअसल सोशल मीडिया पर प्रचलित कंटेंट/सूचनाओं का एक बड़ा हिस्सा यूजर्स जेनरेटेड कंटेंट है इसमें कंपनियां यह तर्क रखती हैं कि वह मात्र एक मध्यस्थ के रूप में काम करती हैं।
- यदि सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की जाती है तो मीडिया के द्वारा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताती हैं

- यदि सरकार सोशल मीडिया पर अंकुश लगाती है तो लोग इसे नागरिकों की जासूसी बताते हैं।
- मैसेजिंग सेवा में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक ओर गोपनीयता तो सुनिश्चित करती है लेकिन वहीं इसके दुरुपयोग की संभावना को भी बढ़ा देती है।

आगे की राह

- बचाव करने और प्रतिक्रिया देने तथा प्रभावी और व्यावहारिक समाधान खोजने और घुसपैठियों के खिलाफ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
- यद्यपि हम अपने नेटवर्क और सूचना की सुरक्षा के लिए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से बेहतर निष्पादन कर रहे हैं परन्तु ये सभी केवल अल्पावधि के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें दीर्घकालिक रणनीति को अपनाते हुए सर्वर, नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े इंफ्रॉस्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बल देना चाहिये।
- सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा संरक्षण की दिशा में उचित एवं कठोर नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे विश्वसनीय सेवाओं के संचार को सुचारू रूप से बनाया जा सके।
- दुष्प्रचार के लिए सरकारों, व्यवसायों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं द्वारा गलत सूचनाओं के प्रसार से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए एक ठोस और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।
- दुष्प्रचार के प्रसार से उत्पन्न खतरों के साथ भाषण के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने की आवश्यकता है।
- दुष्प्रचार को एक साइबर सुरक्षा खतरे के रूप में मानकर हम संज्ञानात्मक हैकिंग के लिए प्रभावी प्रतिकार पा सकते हैं।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

प्र. दुष्प्रचार या गलत सूचनाओं से साइबर सुरक्षा को एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे आप कितना सहमत हैं? उल्लेख करें।

07 बजट में शिक्षा के लिए कम आवंटन : चिंता का विषय

चर्चा का कारण

- आधुनिक समाज में पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान हम सभी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। यह जीवन में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसरों के लिए विभिन्न दरवाजे खोलता है जिससे कैरियर के विकास को बढ़ावा मिलता है। इसी संदर्भ में देखा जाए तो केन्द्रीय बजट 2021-22 में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली (Public Education System -PES) को मजबूत करने की प्रतिबद्धता तो दोहराई गई है किंतु सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में शिक्षा पर 6,000 करोड़ रुपये कम आवंटित किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाने व शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से गरीब बच्चों को लाभ तो हुआ है किन्तु बदलते तकनीक और अन्वेषण के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए शिक्षा के लिए राज्य द्वारा आवंटित धन का धीरे-धीरे सिकुड़ना चिंता का विषय है।

बजट में शिक्षा के लिए क्या?

- देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर खोले जाएंगे। नई शिक्षा नीति (NEP) की जरूरतों के अनुसार देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा व उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है।
- देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission) के गठन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।
- पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (National Language Translation Mission) की घोषणा की गई है। इसका काम सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा।
- आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट राशि 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों को 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- एससी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जारी रहेगी। इसके लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है। अगले 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिससे देश के करीब 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद शिक्षा जारी रखने में मदद दी जाएगी।
- साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट (Apprenticeship Act) में संशोधन कर रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन व डिप्लोमा करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देश के वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए जापान के साथ इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी दी गई है। इसे अन्य कई देशों के साथ भी शुरू किया जाएगा। यूएई के साथ ऐसी एक ट्रेनिंग पार्टनरशिप पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त 2024 तक शिपयार्ड में करीब 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है।

शिक्षा बजट 2021-22 उम्मीदों पर कितना खरा उतरा

- शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने महामारी के कारण स्कूली शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इसमें कम से कम 10 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की थी। नई शिक्षा नीति के लागू होने और उसके इर्द-गिर्द नई संस्थाओं, पाठ्यक्रमों व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण होने के कारण भी शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। किन्तु ऐसा नहीं हुआ ।
- इसके अलावा नई शिक्षा नीति में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए लैंगिक समावेशी कोष (जेंडर इंक्लूसिव फंड) की बात की गई थी, जिसकी कोई चर्चा बजट में नहीं हुई। यह तब है, जब भारत में लगभग 57% लड़कियों को को 10वीं या उसके बाद स्कूल छोड़ना पड़ता है।
- ऐसे समय जब लाखों बच्चे महामारी के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उस समय शिक्षा के बजट के लिए कुछ खास नहीं करना और बालिका शिक्षा के लिए कोई विशेष कदम ना उठाना निराशाजनक हैं। इसके अलावा गरीब बच्चे डिजिटल डिवाइड का भी शिकार हो रहे हैं, उनके बारे में भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है।
- विश्लेषकों का मानना है कि एक समावेशी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार को बजट आवंटन बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय सरकार पीपीपी मॉडल की तरफ जाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी निजीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह बहुत खतरनाक है और शिक्षा के अधिकार की मूल धारणा के विपरीत है।

चुनौतियाँ भी कम नहीं

- देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी घटती जा रही है। देश में बहुत से ऐसे गाँव भी हैं, जिनसे आठवीं और दसवीं के विद्यालय बहुत दूर हैं और कुछ लोग तो इन विद्यालयों के दूर होने के कारण ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते।

- शिक्षकों को ऐसे कौशल की आवश्यकता है जो बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान करने के लिए योग्य हों। नयी शिक्षा नीति, 2020 में वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल के पूर्व छात्रों, स्थानीय समुदाय के सदस्यों, स्वयं सेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों के डेटाबेस को बनाए रखने का प्रस्ताव है लेकिन इन पर खर्च होने वाली राशि का उल्लेख इस बजट में नहीं है।
- अध्यापन से जुड़े लोगों व शिक्षकों के लिए राज्य द्वारा उचित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। स्थानीय अध्यापकों के वेतन और काम करने की स्थिति पर (जिनमें से अधिकांश बेरोजगार युवा और महिलाएं हैं।) अकसर समझौता किया जाता है। यह कहना उचित ही होगा कि यह शोषण और अनावश्यक अनदेखी है जिससे गरीब बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- ऐसा नहीं है कि शिक्षा में निजी व्यक्तियों/ संगठनों/ स्कूलों की भागीदारी सब कुछ भारत में नया है। अतीत में निजी स्कूलों ने सरकारी स्कूलों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब गरीबों को निजी स्कूलों द्वारा लाभ के लिए लक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे की (जिन पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पेश किया जाता है) सीखने की कौशल क्षमता पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है किन्तु वे कोई जवाबदेही नहीं लेते हैं।
- विश्लेषकों का मानना है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन से स्कूल बंदी के कारण बालिकाओं की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई है और उन्हें घरेलू कामों और बाल विवाह की तरफ मजबूरन जाना पड़ा है, ऐसे में उन्हें शिक्षा से जोड़ने की बड़ी चुनौती है।
- वर्तमान में आंगनवाड़ियों और निजी प्री-स्कूलों के जरिए अधिकतर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि प्रारंभिक देखभाल में शैक्षणिक पहलु पर कम ध्यान दिया जाता है।

- भारत में प्रौद्योगिकी की बुनियादी संरचना इतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पायी है कि देश भर में छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं आसानी से उपलब्ध करायी जा सके। ऐसा देखा गया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र भी तकनीकी चुनौतियों से उबर नहीं पाए हैं। मसलन, पर्याप्त बिजली आपूर्ति और प्रभावी कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम छह से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। सरकार को चाहिए कि आरटीई के दायरे को बढ़ाया जाए ताकि बचपन की प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक स्कूली शिक्षा को इसमें शामिल किया जा सके। इससे एक्ट के दायरे में तीन से 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल हो जाएंगे।
- कई सरकारी स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल परिसर बनाया जाए। एक परिसर में एक माध्यमिक स्कूल (कक्षा नौ से बारह) और आस-पड़ोस के ऐसे सभी सरकारी स्कूल आने चाहिए जोकि प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक की शिक्षा प्रदान करते हैं।
- एक शिक्षक को एक स्कूल परिसर में कम से कम पांच से सात वर्ष तक तैनात किया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को स्कूली घंटों के दौरान गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने (जैसे मिड डे मील या टीकाकरण अभियानों में हिस्सा लेने) की अनुमति नहीं होगी जोकि उनकी शिक्षण क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है।
- देश में भारी आदिवासी जनसंख्या को देखते हुए 750 एकलव्य स्कूलों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में बाकी देश के लाखों आदिवासी छात्र शिक्षा से वंचित रहेंगे। इसलिए एकलव्य स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सिर्फ 15,000 नहीं बल्कि देश भर के सभी 15 लाख स्कूल आदर्श स्कूल होने चाहिए। सिर्फ एक प्रतिशत स्कूलों को आदर्श और गुणवत्तापूर्ण बनाकर हम देश में शिक्षा का स्तर नहीं सुधार सकते।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कोविड -19 की प्रतिकूल परिस्थितियों, डिजिटल शिक्षा पर बढ़ती निर्भरता और नई शिक्षा नीति को देखते हुए शिक्षा के बजट में खासी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

1. चर्चा का कारण

- केन्द्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा।

2. मुख्य बिंदु

- इस योजना को हेल्थ सेक्टर के तीन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए आरंभ किया गया है। यह तीन क्षेत्र बचाव, इलाज तथा रिसर्च हैं।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अगले 6 साल के लिए 64180 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसकी फंडिंग पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, इस बजट के माध्यम से देश के अस्पताल, प्रयोगशालाओं आदि को विकसित किया जाएगा।
- यह योजना नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संचालित की जाएगी।
- गौरतलब है कि स्वास्थ्य और वैलबिइंग के लिए 21-22 का बजट 2,23,846 करोड़ होगा जो कि 94,452 करोड़ के बजट अनुमान से 137% ज्यादा है।

3. योजना का क्रियान्वयन

- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत, 17,000 से अधिक ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का समर्थन किया जाएगा।
- 602 जिलों में हॉस्पिटल ब्लॉक भी इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त, सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी और 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
- नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भी समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना-2021 के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल की भी स्थापना की जाएगी तथा 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ खोली जाएंगी।
- इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। साथ ही 15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केंद्र, 2 मोबाईल अस्पताल और एक राष्ट्रीय संस्थान "वन हेल्थ" स्थापित किया जायेगा।

4. योजना का लाभ

- आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना-2021 के अंतर्गत मौजूदा हेल्थ इंफ्रॉस्ट्रक्चर मजबूत होंगे तथा आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए नए संस्थानों का भी विकास होगा इससे आने वाले समय में भी हमारा देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा।

5. आगे की राह

- इस योजना के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर हेल्थ सिस्टम और मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त ये नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्थाएँ भी स्थापित होने चाहिए।
- स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना के तहत जो पहल प्रस्तावित हैं, वे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

02 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

1. चर्चा का कारण

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ महिला लाभार्थी शामिल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष 60 लाख महिलाओं को कवर करने का था।
- वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 तक 1.75 करोड़ पात्र लाभार्थियों को कुल 5,931.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है?

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development- MWCD) द्वारा शुरू की गई थी।
- यह योजना 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में लागू है।
- इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना होता है ताकि वह खुद के साथ-साथ अपने नवजात की भी देखभाल कर सकें।
- इस योजना को 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाया जाता है। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला व माताओं को 6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि सीधे उनके खाते में जाती है।

3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य

- गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा-बच्चा देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को पहले छह महीनों के लिए प्रारंभिक और विशेष स्तनपान तथा पोषण प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।

4. लाभार्थियों के लिए शर्तें

- सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानी गई हैं। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- हालांकि सरकारी कर्मचारी, किसी अन्य कानून से लाभ पा रही प्राइवेट कर्मचारी या फिर पहले सभी किस्तें पा चुकी महिला को इसके लाभ से वंचित रहना होगा। सरकारी कर्मचारी की सेवाशर्तों में वेतन सहित मातृत्व अवकाश जैसे लाभ पहले से ही जुड़े होते हैं जबकि प्राइवेट संस्थान में काम करने वाली महिला अगर किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ की सुविधा प्राप्त कर रही है तो वह भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है।
- साथ ही किसी अन्य योजना का लाभ ले रही या फिर इसी योजना के तहत लाभ ले चुकीं महिलाओं को भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से वंचित रहना पड़ सकता है।
- आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जाता है। महिलाएं वहां जा कर इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर भी इस योजना के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। इसमें आशा कार्यकर्ता मदद करती हैं।

5. महत्त्वपूर्ण सुझाव

- भारतीय बच्चों में कुपोषण स्तर के स्थिर बने रहने का मुख्य कारण महिलाओं के गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान उनका कुपोषित होना है। ऐसे में घरों में खाए जाने वाले भोजन की मात्रा और पोषक स्तर में सुधार करना आवश्यक है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत पूरक खाद्य पदार्थों तक पहुंच प्रदान करना और पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थानीय आहार, उत्पादन और घरेलू व्यवहार में सुधार हेतु जानकारी प्रदान करना जरूरी है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और एनीमिया को रोकना।
- बुनियादी पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना।
- पानी और स्वच्छता संबंधी शिक्षा तथा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार।
- महिलाओं को बहुत जल्दी, बार-बार और कम अंतराल में गर्भधारण को रोकने के लिए सशक्त बनाना।

03 डीएनए विधेयक से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसद की स्थायी समिति ने आशंका जाहिर की है कि डीएनए डेटा बैंक के जरिए धर्म, जाति या राजनीतिक विचार के आधार पर लोगों को निशाना बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्द्धन ने लोकसभा में डीएनए बिल पेश किया था, जिसके बाद इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।

2. संसदीय समिति के सुझाव

- अपराध स्थल डीएनए प्रोफाइल के राष्ट्रीय डेटा बैंक में सभी का डीएनए शामिल किया जा सकता है। विदिह हो कि अपराध से पहले और बाद में वारदात स्थल पर कई लोगों का डीएनए मिलता है, जिनका मामले से कुछ लेना देना नहीं होता है।
- समिति का मानना है कि डीएनए प्रोफाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा सक्षम तंत्र जल्द ही बनाया जाए, जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और संविधान की भावना के अनुरूप हो।
- समिति के सदस्यों ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि धर्म, जाति या राजनीतिक विचार के आधार पर लोगों को निशाना बनाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है।
- संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि अपराध स्थल डीएनए प्रोफाइल का उपयोग जांच और परीक्षण में किया जा सकता है, लेकिन इसे डेटा बैंक में नहीं डाला जाना चाहिए और मामला समाप्त होने के बाद इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी है, तो दोषी के डीएनए प्रोफाइल को ही डेटा बैंक में शामिल किया जा सकता है।

3. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक

- इस विधेयक का उद्देश्य 'विशेष श्रेणी के व्यक्तियों' जैसे कि अपराध के शिकार लोगों, लापता व्यक्तियों और बच्चों, अज्ञात शवों के साथ अपराधियों, संदिग्धों और मामलों में विचाराधीन लोगों का एक डेटाबेस स्थापित करना है।
- इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और हर राज्य में क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक खोले जाने का प्रावधान है। हर डेटा बैंक में क्राइम सीन इंडेक्स, संदिग्ध व्यक्तियों (सस्पेक्ट) या विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल्स) के इंडेक्स, अपराधियों के इंडेक्स, लापता व्यक्तियों के इंडेक्स और अज्ञात मृत व्यक्तियों के इंडेक्स होंगे।
- विधेयक के मुताबिक, ऐसा डेटाबेस डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों को दोहराने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में मदद करेगा। इस बिल में कुछ लोगों की पहचान स्थापित करने हेतु डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रयोग के रेगुलेशन का प्रावधान है।

6. डीएनए तकनीक का लाभ

- डीएनए तकनीक का इस्तेमाल अपराधों की गुत्थी को सुलझाने में किया जा सकता है। यह तकनीक जो लोग लापता हो गए हैं या जिनकी मृत्यु के बाद पहचान नहीं हो पा रही है, उन मामलों में मददगार साबित होगी।
- यही नहीं बड़ी आपदाओं में ज्यादा तादात में मरने वालों की पहचान में भी यह तकनीक उपयोगी होगी। इसके अलावा बच्चे के जैविक माता-पिता की पहचान, इमिग्रेशन मामलों और मानव अंगों के ट्रांसप्लांट जैसे कार्यों में भी इस तकनीक की मदद ली जा सकेगी।

5. डीएनए कलेक्शन कैसे होगा?

- विधेयक के मुताबिक, डीएनए प्रोफाइल तैयार करते समय जांच अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों को इकट्ठा किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में इन पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को उस व्यक्ति की सहमति लेनी होगी। सात साल से नीचे के सजायाफ्ता कैदी से भी सहमति लेनी होगी, लेकिन उससे ऊपर वाले की सहमति नहीं चाहिए।
- डीएनए विधेयक में डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है जोकि डीएनए डेटा बैंक और डीएनए लेबोरेट्रीज को सुपरवाइज करेगा। इसके अलावा डीएनए का खुलासा करना या अनुमति के बिना डीएनए सैंपल का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है। डीएनए सूचना का खुलासा करने पर तीन साल तक की कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

04 संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार की आवश्यकता

1. चर्चा का कारण

- वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग द्वारा कई दूरदर्शी सिफारिशें की गई हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और प्रौद्योगिकी में आते बदलाव को देखते हुये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह का मानना है कि संविधान की सातवीं अनुसूची पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि सातवीं अनुसूची केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों का आवंटन करती है।

2. प्रमुख बिन्दु

- वित्त आयोग ने केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से को 2015-20 की अवधि के मुकाबले 2020-21 में कम करने का सुझाव दिया है। पहले यह हिस्सा 42% था और अब 41% है। नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि देने के लिए 1% की गिरावट की गई है।
- विदित हो कि 10वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि सभी केंद्रीय करों को राज्यों के साथ साझा किया जाए। इसके बाद 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व की शुद्ध आय में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से 42% तक बढ़ाने का सुझाव दिया था।

3. सातवीं अनुसूची क्या है?

- सातवीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें तीन सूचियाँ सम्मिलित हैं- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
- संघीय सूची के तहत शामिल विषयों पर केन्द्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है तथा राज्य सरकारों को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिये गये हैं।
- समवर्ती सूची के तहत शामिल विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार दिये गये हैं, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में केन्द्र के कानून ही मान्य होंगे।

4. आवश्यकता क्यों?

- बदलती हुई राजकोषीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल रखने के लिए सातवीं अनुसूची का पूरी तरह से विधायी मूल्यांकन करना आवश्यक है।
- संघीयता की भावना को अक्षुण्ण रखते हुए इसे लोकतांत्रिक और परामर्शात्मक रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (center sponsored scheme) को इतना लचीला होना चाहिये कि राज्य इन्हें अपना सकें और इनमें नवप्रवर्तन कर सकें।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये कुल सार्वजनिक व्यय 6 से 7 लाख करोड़ रुपये सालाना है। इसमें केन्द्र सरकार अकेले 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है जो कि जीडीपी का 1.2 प्रतिशत है। केन्द्र और राज्यों के राजकाषीय सुदृढीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिये और अधिक मेलजोल और सहयोग की आवश्यकता है।
- बदलते वक्त के साथ संघ या केंद्र ने विभिन्न कारणों से राज्यों को सौंपे गए विषयों में हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए, रोजगार और शिक्षा जैसे विषय राज्य सूची के विषय हैं फिर भी, भारत में रोजगार (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) और शिक्षा (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) पर केंद्र द्वारा कानून बनाया गया।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के आगमन ने कृषि जैसे राज्य सूची के विषय में भी बहस को तेज कर दिया है।
- समवर्ती सूची की प्रविष्टि -33, जहां एक ओर कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति को सीमित करती है वहीं दूसरी ओर केंद्र को यह अधिकार देते हुए ताकतवर बनाती है कि वह कृषि उत्पादन,कृषि-व्यापार, खाद्यान वितरण और कच्चे कृषि उत्पाद संबंधी मामलों पर कानून बनाए।

5. राज्यों की घटती निर्णय शक्ति

- संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 248 के अनुसार केंद्र के पास किसी भी उस विषय पर, जिसका जिक्र सातवीं सूची में नहीं है, निर्णय लेने की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद के पास किसी भी विषय पर कानून बनाने का हक है, यहाँ तक कि अगर संसद को जरूरी लगे कि अमुक विषय राष्ट्रीय हित में जरूरी है तो वह राज्य सूची के विषयों पर भी यही करने का अधिकार रखती है।

05 भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केन्द्र

1. चर्चा का कारण

- विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर और भारत की आर्द्रभूमियों के संरक्षण, बहाली तथा प्रबंधन की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम), चेन्नई के भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केन्द्र (सीडब्ल्यूसीएम) की स्थापना की घोषणा की गयी है।

2. परिचय

- इस प्रबंधन केन्द्र में विशेष शोध जरूरतों और जानकारियों में कमी का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही आर्द्रभूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग के लिए एकीकृत रणनीतियों के उपयोग में सहयोग लिया जाएगा।
- गौरतलब है कि भारत में लगभग 4.6 प्रतिशत जमीन आर्द्रभूमि है, जिनका क्षेत्रफल 1.526 करोड़ हेक्टेयर है और ऐसे 42 स्थल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों (रामसर साइट्स) के रूप में नामित हैं, जिनका क्षेत्रफल 10.8 लाख हेक्टेयर है।

3. संरक्षण और प्रबंधन केंद्र का लाभ

- यह केन्द्र उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी और नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगा।
- डब्ल्यूसीएम एक ज्ञान के केन्द्र के रूप में काम करेगा और राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के आर्द्रभूमि प्राधिकरणों, आर्द्रभूमि के उपयोगकर्ताओं, प्रबंधकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रैक्टिसनर्स के बीच विचारों के आदान प्रदान को सक्षम बनाएगा।
- यह केन्द्र उनके संरक्षण के लिए नीति और नियामकीय रूप रेखाओं के निर्माण व उनके कार्यान्वयन, प्रबंधन योजना, निगरानी और लक्षित अध्ययन में भी सहयोग करेगा।

4. आर्द्रभूमि

- जल और किसी स्थल के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमि जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक समृद्ध क्षेत्र होता है।
- आर्द्रभूमियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है- जिनमें सागर तटीय आर्द्रभूमि और अंत:स्थलीय आर्द्रभूमि शामिल हैं।

5. लाभ

- आर्द्रभूमि को बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये विस्तृत भोज्य-जाल यानी Food-Webs का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आर्द्रभूमियों को 'किडनीज ऑफ द लैंडस्केप' भी कहा जाता है।
- साथ ही वेटलैंड महत्वपूर्ण वनस्पतियों और औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। लोगों की आजीविका के लिये भी आर्द्र-भूमि को काफी अहम माना जाता है।
- इसके अलावा सबसे जरूरी ये कि पर्यावरण संरक्षण के लिये वेटलैंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।

6. विश्व आर्द्रभूमि दिवस

- आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिन ने आद्र्भूमि पर रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया। इस कन्वेंशन को ईरान के रामसर में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था।

06 नॉर्ड स्ट्रीम-2 परियोजना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में विवादित नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन परियोजना को रूसी ऊर्जा कंपनी द्वारा, अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए फिर से काम शुरू कर दिया है। विदित हो कि लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण इस परियोजना पर गतवर्ष अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था।

2. परिचय

- ध्यावत है कि रूस के साथ जब भी पश्चिमी देशों का विवाद बढ़ता है तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन सबके निशाने पर आ जाती है।
- यह विवादास्पद पाइपलाइन, जो कि पूरी होने वाली है, रूस से जर्मनी तक, सालाना वितरित होने वाली प्राकृतिक गैस की मात्रा को दोगुना कर देगी।
- रूस और जर्मनी के बीच बाल्टिक सागर से होकर नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन परियोजना दो मार्गों से प्रति वर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के स्थानांतरण की क्षमता के साथ निर्माणाधीन है।
- रूसी कंपनी गैजप्रोम कई यूरोपीय कंपनियों के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम कर रही है।
- वहीं अमेरिका इस परियोजना में शामिल कंपनियों और ठेकेदारों को बारबार कड़े प्रतिबंधों की धमकी देता रहा है, अमरीकी कांग्रेस ने सैन्य बजट के मसौदे के साथ ही नॉर्ड स्ट्रीम-2 परियोजना पर अधिक प्रतिबंध लगाने पर सहमति भी जता दी थी।

3. क्या है नॉर्ड स्ट्रीम-2 परियोजना?

- 2015 में इस पाइपलाइन की कल्पना की गई थीये पाइपलाइन बाल्टिक सागर में मौजूदा नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के समानांतर है और उत्तरी जर्मनी तक पहुंचने के बाद यूरोपियन पाइपलाइन सिस्टम का इस्तेमाल कर एकीकृत बाजार में प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए उपयोगी है।
- ये एक साझा परियोजना है जिसमें रूस की गैस कंपनी गैजप्रोम और यूरोप की पांच कंपनियां- ENGIE, OMV, रॉयल डच शेल, यूनिपर और विंटरशैल हिस्सेदार है पक्ष दोनों।
- 55 बीसीएम प्रति वर्ष की क्षमता के साथ ये पाइपलाइन यामल प्रायद्वीप से गैस ले जाएगी इसकी क्षमता नॉर्ड स्ट्रीम 1 के मुकाबले दोगुनी है।
- यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने 2019 में रूस से 44.7 प्रतिशत गैस का आयात किया और इस तरह वो रूस के सबसे बड़े साझेदार हैं। इसके बाद नॉर्वे ने 21.3 प्रतिशत, अल्जीरिया ने 12.1 प्रतिशत, कतर ने 6.3 प्रतिशत और नाइजीरिया ने 5.9 प्रतिशत गैस का आयात किया।

4. पाइपलाइन की आवश्यकता

- यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पाइपलाइन की जरूरत है क्योंकि उत्तरी सागर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन आने वाले वर्षों में कम होने का अनुमान है और यूरोप की मांग मौजूदा स्तर पर ही बने रहने की उम्मीद है।
- इस पाइपलाइन को जारी रखने के पक्ष में एक दलील ये दी जाती है कि यूक्रेन की पाइपलाइन पुरानी है और उस पर देख-रेख की जरूरत है।
- इसका मतलब होगा यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक जाने वाली रूस की प्राकृतिक गैस की मात्रा में कमी जो 2018 में करीब 40 प्रतिशत थी और नॉर्ड स्ट्रीम 1 के चालू होने से पहले 80 प्रतिशत से भारी कमी दर्ज की गई है। NS2 के चालू होने से ये आंकड़ा और कम हो जाएगा।
- परन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस-यूरोपियन यूनियन के बीच साझेदारी में काफी गिरावट आई है, लेकिन इन संबंधों की वजह से एक निश्चित स्तर पर सहयोग बना हुआ है।

5. निष्कर्ष

- 94 प्रतिशत पूरे हो चुके प्रोजेक्ट को छोड़ देना व्यापार साझेदार के तौर पर यूरोपियन यूनियन की छवि को नुकसान पहुंचाएगाद्य साथ ही यूरोपियन कंपनियों और गैजप्रोम को वित्तीय नुकसान भी होगा।
- रूस और यूक्रेन के संबंधों को देखते हुए यूक्रेन कॉरिडोर के जरिए गैस की सुचारू आपूर्ति पर भी शक बना हुआ है, इस तरह का कदम रूस और यूरोपियन देशों के बीच मतभेदों को बढ़ाएगा।
- फिलहाल तो रूस और जर्मनी- दोनों देश परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि प्रोजेक्ट पूरा होगा, भले ही थोड़ी देर हो परन्तु सवाल यह है कि क्या अमेरिका प्रोजेक्ट को पटरी से उतारने के लिए और सख्त पाबंदी लागू करेगा?

07 'जेरेंगा पोथर और ढ़ेकियाजुली शहर'

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम का दो दिवसीय दौरा संपन्न किया। इस दौरान उन्होंने असम के दो ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों जेरेंग पोथर और ढ़ेकियाजुली शहर का भी दौरा किया।

2. परिचय

- इन दोनों स्थानों में पहला है शिवसागर जहाँ, जेरेंगा पाथर में भूमि पट्टा आवंटन की शुरुआत की थी। और 17 वीं शताब्दी की अहोम राजकुमारी जोयमोती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था।
- वहीं दूसरा धेकियाजुली जिसे शहीदों की भूमि कहा जाता है इसके इतिहास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक भूमि, वीरता और गौरव का प्रतीक माना जाता है। जहां 1942 में असम के सेनानियों ने अपने प्राण कुर्बान किए।
- असम के सोनितपुर के धेकियाजुली में दो मेडिकल कालेज की आधारशिला रखी और सड़कों को लिए "असोम माला" परियोजना का शुभारंभ किया

3. धेकियाजुली का भारत छोड़ो आंदोलन से क्या संबंध है?

- 20 सितंबर, 1942 को भारी संख्या में लोग गोहपुर पुलिस चौकी पर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिये जा रहे थे। मृत्यु वाहिनी या डेथ स्कायड के रुप जाने वाले इस दस्ते में महिलाओं और बच्चों की व्यापक भागीदारी थी।
- इनका उद्देश्य पुलिस चौकी पर लगे यूनियन जैक को उतार कर भारतीय झंडा फहराना था। परन्तु ब्रिटिश प्रशासन उन पर भारी पड़ गया।
- गोहपुर में, 17 वर्षीय कनकलता बरुआ और ढेकियाजुली में, कम से कम 15 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनमें से तीन महिलाएँ थीं, जिनमें सबसे कम 12 वर्षीय टिल्वरी बरुआ भी शामिल थी।
- कनकलता महिलाओं के समूह का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। थाने के दरोगा के धमकी देने पर भी वो नहीं मानी और झंडा लेकर आगे बढ़ती रहीं। आखिरकार वो पुलिस की गोली का शिकार हुई और शहीद हो गई।

4. स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी

- धेकियाजुली से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद थे। देशभक्ति का उत्साह अपने चरम पर था और यह भी एक समय था जब आपने बहुत सी महिलाओं को आंदोलन में भाग लेते देखा। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तक महिलाओं की भागीदारी सीमित थी इसलिए वे स्थानीय और छोटे आंदोलनों में भूमिका निभा रहीं थी। कनकलता बरूआ, पुष्पलता दास, तिलेश्वरी बरुआ उन्हीं की प्रतीक हैं।
- स्थानीय जानकारों के अनुसार असम के इतिहास के दस्तावेज, वर्ष 1940 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम में असम की भागीदारी तेज हुई।

5. प्रकरण को अब तक कैसे सराहा गया है?

- ऑल असम फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन का आरोप है कि इस बलिदान को भुला दिया गया। अभी तक किसी ने भी इस घटना पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके प्रयास से जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है।
- वर्ष 1975 में एक शहीद स्मारक बनाया गया था।
- हाल ही में इस पर दो किताबें लिखी गई हैं।
- कुछ समय पहले ही ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन को विरासत का दर्जा दिया गया।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

प्र. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
2. इस योजना के माध्यम से देश के अस्पताल, प्रयोगशाला आदि को विकसित किया जाएगा।
3. यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित की जाएगी।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्या : केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

02 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्र. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है।
2. इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्या : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 1 जनवरी 2017 में देश के सभी जिलों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

03 डीएनए विधेयक से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डीएनए तकनीक पितृत्व विवाद, मानव अंगों के प्रत्यारोपण एवं विभिन्न विवादित अपराधों को सुलझाने में किया जाता है।
2. डीएनए प्रोफाइलिंग में किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए डीएनए के एक छोटे हिस्सें का उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्या : डीएनए तकनीक के द्वारा व्यक्तिगत जीनों की पहचान, मानव जीनों की मैपिंग, अनुवांशिक रोगों का पता लगाकर इलाज, डीएए फिंगर प्रिंटिंग से अपराधों की गुत्थी सुलझाया जा सकता है। डीएनए प्रोफाइल तैयार करते समय किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। इन शारीरिक पदार्थों से डीएनए के एक छोटे टुकड़ें को फोरेंसिक विभाग को जाँच के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

04 संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार की आवश्यकता

प्र. संविधान की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सातवीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों से विभाजन से संबंधित है।
2. समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है परन्तु विवाद की स्थिति में राज्य के कानून मान्य होंगे।

उपरोक्त कथन में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्या : सातवीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों के शक्ति विभाजन से संबधित है। इसमें संघीय सूची के तहत शामिल विषयों पर केन्द्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है तथा राज्य सरकारों को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में केन्द्र व राज्य, दोनो ही सरकारें कानून बना सकती हैं परन्तु विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार का कानून मान्य होगा। इस प्रकार कथन 1 सही है, अतः उत्तर (a) होगा।

05 भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र

प्र. भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह केंद्र उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी और नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगा।
2. यह केंद्र उनके संरक्षण के लिए नीति और नियामकीय रूप रेखाओं के निर्माण व उनके कार्यान्वयन, प्रबंधन योजना, निगरानी और लक्षित अध्ययन में भी सहयोग करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) चेन्नई के भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केन्द्र (सीडब्ल्यूसीएम) को स्थापना करने की घोषणा की गयी। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

06 नॉर्ड स्ट्रीम-2 परियोजना

प्र. नॉर्ड स्ट्रीम-2 परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नॉर्ड स्ट्रीम-2 पाइपलाइन परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2015 में की गई थी।
2. यह एक साझा परियोजना है जिसमें रूस की गैस कंपनी गैजप्रोम तथा यूरोप की पाँच कंपनियाँ हिस्सेदार हैं।
3. ये गैस पाइपलाइन एस्टोनिया, लातविया, लिथुवानिया, पोलैण्ड, फिनलैण्ड, स्वीडन तथा डेनमार्क से होकर गुजरेगी।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) उपरोक्त सभी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्या : हाल ही में विवादित नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन परियोजना को रूसी ऊर्जा कंपनी द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए फिर शुरू किया गया है। नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

07 जेरेंगा पोथर और ढेकियाजुली शहर

प्र. जेरेंगा पोथर और ढेकियाजुली शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जेरेंगा पोथर, शिवसागर शहर का एक खुला मैदान है, जो 17वीं शताब्दी की अहोम राजकुमारी जॉयमती की वीरता के लिए काफी लोकप्रिय है।
2. राजकुमारी जॉयमती की मृत्यु शिवसागर शहर के जेरेंगा पोथर मैदान में हुई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम का दो दिवसीय दौरा संपन्न किया। इस दौरान उन्होंने असम के दो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों जेरेंगा पोथर और ढेकियाजुली शहर का भी दौरा किया। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 इंडिया एनर्जी आउटलुक-2021 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) द्वारा हाल ही में, 'इंडिया एनर्जी आउटलुक'-2021 (India Energy Outlook 2021) रिपोर्ट जारी की गयी।

मुख्य तथ्य

- भारत इस दशक के अंत तक यूरोपीय संघ को ऊर्जा के क्षेत्र में पीछे कर देगा। इंटरनेशनल एनर्जी के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत यूरोपीय संघ को पछाड़ कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा।
- आईईए के अनुमान के मुताबिक भारत में आने वाले दो दशकों में ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वर्ष 2040 तक इसके 8.6 खरब डॉलर के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मौजूदा समय में भारत विश्वभर में चौथा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, जबकि तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ आता है।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020-40 के दौरान भारत में ऊर्जा की मांग बढ़कर विश्व की करीब एक चौथाई हो जाएगी जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक होगी। इसमें अक्षय ऊर्जा भी काफी अहम भूमिका निभाएगी।
- विदित हो कि अक्षय ऊर्जा से मतलब ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों से है। इनमें सौर और पवन ऊर्जा भी शामिल है। आने वाले वर्षों में भारत प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए एक बड़ा बाजार बनकर सामने आएगा। भारत के ऊर्जा में इतनी अधिक बढ़ोत्तरी की एक बड़ी वजह भारत में होने वाले औद्योगिकीकरण को माना जा रहा है।
- इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते तीन दशकों में भारत ने वैश्विक वृद्धि दर में दस फीसदी की भागेदारी निभाई है। वर्ष 2040 तक ये बढ़कर 20 फीसद तक हो जाएगी। स्टील उत्पादन में भी भारत के आगे बढ़ने की उम्मीद इस रिपोर्ट में जताई गई है।
- इसी तरह से भारत में तेल की मांग 74 फीसद तक बढ़ने की उम्मीद है। ये बढ़कर करीब 90 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुंच सकता है। इसी तरह से प्राकृतिक गैस वर्ष 2040 तक 201 बिलियन क्यूबिक मीटर और कोयले की मांग करीब 772 मिलियन टन की होगी जो अभी 590 टन है। भारत को इस बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए जैव ईंधन को बाहर से खरीदना होगा।

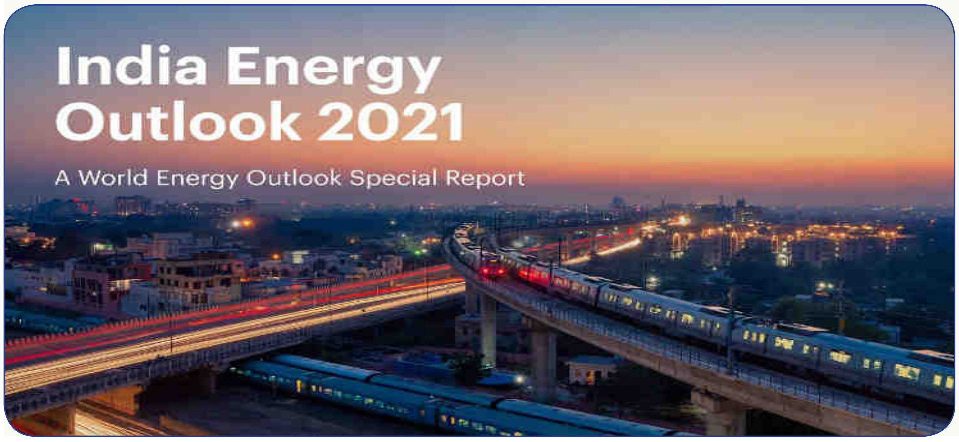

'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), एक अंतर-सरकारी स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation of Economic Cooperation and Development-OECD) फ्रेमवर्क के अनुसार वर्ष 1974 में की गई थी।
- इसके कार्यों का केन्द्र बिन्दु मुख्यतः चार क्षेत्रों पर होता है: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता। इसका मुख्यालय (सचिवालय) पेरिस, फ्रांस में है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1973-1974 के तेल संकट के दौरान सदस्य देशों के लिए तेल आपूर्ति व्यवधानों का सामना करने में मदद करने के लिए की गयी थी। IEA द्वारा यह भूमिका वर्तमान में भी निभाई जा रही है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अधिदेश में समय के साथ विस्तार किया गया है। इसके कार्यों में वैश्विक रूप से प्रमुख ऊर्जा रुझानों पर निगाह रखना और उनका विश्लेषण करना, मजबूत ऊर्जा नीतियों को बढ़ावा देना और बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना आदि को शामिल किया गया है।

02 चीन का अंतरिक्ष यान 'तियानवेन-1'

चर्चा में क्यों

- हाल ही में शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार चीन के अंतरिक्ष यान 'तियानवेन-1' (Tianwen-1 Spacecraft of China) ने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। ये अंतरिक्ष यान मंगल पर पहुंचते ही उसकी सतह पर एक रोवर को उतारेगा। इसके बाद यहां से भूजल और जीवन (China Mars Exploration Mission) के संभावित संकेतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करेगा।

मुख्य तथ्य

- शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, 'चीन के प्रोब 'तियानवेन-1 ने पृथ्वी से लगभग सात महीने की यात्रा के बाद कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है।' चीन के 'तियानवेन-1' (Tianwen-1) मिशन का मतलब 'क्वेश्चन्स टू हेवेन' (स्वर्ग से सवाल) है।
- यह दो दिन के भीतर दूसरी बार है जब किसी यान ने लाल ग्रह (China Mars Mission update) की कक्षा में प्रवेश किया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) के अंतरिक्ष यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था।
- विदित हो कि अमेरिका (US Mars Mission) अपने रोवर 'पर्सविरन्स' को मंगल की सतह पर उतारने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो आठ बार सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंच चुका है।

मिशन का उद्देश्य

- तियानवेन -1 मिशन एक लैंडिंग कैप्सूल भेजने का प्रयास करेगा जो 240 किलोग्राम के रोवर को ले जायेगा। इस रोवर को मंगल के उत्तरी गोलार्ध में भेजा जाएगा जिसे यूटोपिया प्लैनिटिया कहा जाता है।
- इस रोवर को सफलतापूर्वक लैंड करने के बाद, सौर ऊर्जा से चलने वाला रोवर 90 दिनों के लिए मंगल की सतह की खोज करेगा। यह रोवर मिट्टी का अध्ययन करेगा और यह भी पता लगाएगा की प्राचीन काल में जीवन कैसा रहा होगा।

तियानवेन-1 के बारे में

- तियानवेन-1, चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) का एक अंतर-ग्रहीय मिशन है। इस मिशन के तहत, सीएनएसए ने मंगल ग्रह पर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजा है। अंतरिक्ष यान में एक ऑर्बिटर, एक डिप्लोयबल कैमरा, एक लैंडर और एक रोवर है। इस स्पेसक्राफ्ट को 23 जुलाई, 2020 को वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्ग मार्च 5 हैवी-लिफ्ट लॉन्च वाहन से लॉन्च किया गया था।

03 प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों

- हाल ही में संसद द्वारा ऐतिहासिक 'प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020' पारित किया गया है।

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक का उद्देश्य

- बंदरगाहों से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देने और व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया गया है।
- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 का लक्ष्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्ण स्वायत्तता लाकर और मुख्य बंदरगाहों के संस्थागत ढांचे का आधुनिकीकरण करके प्रमुख बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ काम करने के लिए सशक्त बनाना है।
- यह विधेयक तेज और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए सभी हितधारकों एवं परियोजना को बेहतर तरीके से लागू करने की क्षमता को लाभान्वित करेगा। इस विधेयक से प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी।
- इस विधेयक का उद्देश्य सफल वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप केन्द्रीय बंदरगाहों में प्रशासन के मॉडल का पुनर्विन्यास लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के रूप में करना है।

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 की मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक पूर्ववर्ती प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 की तुलना में अधिक सुगठित है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग करने वाले और पुराने हो चुके अनुच्छेदों को समाप्त करके अनुच्छेदों की कुल संख्या 134 से घटाकर 76 कर दी गई है।
- इस विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड की संरचना को भी सरल करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रमुख बंदरगाह की अवस्थिति वाली राज्य सरकारों, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीमा शुल्क, राजस्व विभाग

के प्रतिनिधियों के अलावा सरकार की तरफ से एक नामित सदस्य और बड़े बंदरगाह प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को इस बोर्ड में सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

- प्रमुख बंदरगाहों के लिए तटकर प्राधिकरण की भूमिका नए सिरे से तय की गई है। बंदरगाह प्राधिकरण को अब तटकर तय करने के अधिकार दिए गए हैं।
- बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित बंदरगाह से जुड़ी अन्य सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क का पैमाना तय करने के अधिकार दिए गए हैं।
- बंदरगाह प्राधिकरण बोर्डों को अनुबंध करने, योजना और विकास, राष्ट्रहित को छोड़कर शुल्क तय करने, सुरक्षा और निष्क्रियता व डिफॉल्ट के चलते उपजी आपातकालीन स्थिति से निपटने के मामले में पूरी शक्तियां दी गई हैं।
- प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह का बोर्ड, किसी भी किस्म के विकास या बुनियादी ढांचे के संदर्भ में विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकारी होगा।
- बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा सीएसआर (CSR) और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित प्रावधान पेश किए गए हैं।
- प्रमुख बंदरगाहों के कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े लाभ समेत वेतन एवं भत्ते और सेवा शर्तों को सुरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं।

04 भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है।

प्रमुख बिन्दु

- भारत में पहली बार डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी में परिवर्तित किया गया है। रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टॉमासेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी में रूपांतरित किया गया है।
- दावा किया जा रहा है कि इससे ट्रैक्टर किसानों को ईंधन की लागत पर सालाना लगभग 1 लाख रुपये की बचत होगी।
- इस रूपांतरण से किसानों को उत्पादन लागत कम करने तथा ग्रामीण भारत में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
- इसके अतिरिक्त, किसानों को अपनी आजीविका में सुधार करने में भी मदद मिलेगी।

संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी)

- संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas-CNG) एक ईंधन है जिसका उपयोग पेट्रोल (गैसोलीन), डीजल ईंधन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के स्थान पर किया जा सकता है।
- सीएनजी दहन, उपरोक्त ईंधन की तुलना में कम अवांछनीय गैसों का उत्पादन करता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसमें कार्बन और अन्य प्रदूषकों की मात्रा सबसे कम है।
- सीएनजी प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाया जाता है, जो मुख्य रूप से मीथेन से बना होता है।
- सीएनजी का उपयोग पारंपरिक पेट्रोल / आंतरिक दहन इंजन ऑटोमोबाइल में किया जाता है।
- ईंधन की उच्च कीमतों और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सीएनजी का उपयोग ऑटो-रिक्शा, पिकअप ट्रक, स्कूल बसों और ट्रेनों आदि में भी किया जाने लगा है।

डीजल ट्रैक्टर के सीएनजी में रूपांतरण के महत्वपूर्ण लाभ

- सीएनजी बहुत किफायती है क्योंकि इसमें सीसा लगभग शून्य के बराबर है। यह गैर-संक्षारक, गाढ़ा और कम प्रदूषण फैलाने वाला है जो इंजन की जीवन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इसके लिए नियमित रखरखाव की कम आवश्यकता होती है।
- यह बेहद सस्ता है क्योंकि सीएनजी की कीमतें पेट्रोल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की तुलना में कहीं अधिक सुसंगत हैं। डीजल तथा पेट्रोल चालित वाहनों की तुलना में सीएनजी वाहनों का औसत माइलेज भी बेहतर है।
- यह बहुत सुरक्षित है क्योंकि सीएनजी वाहन सीलबंद टैंक के साथ आते हैं, जो ईंधन भरने या स्पिल की स्थिति में विस्फोट की संभावना को न्यूनतम करता है।
- यह भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प है क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 1 करोड़ 20 लाख वाहन वर्तमान में प्राकृतिक गैस द्वारा ही संचालित होते हैं। दिन-प्रतिदिन अधिक से अधिक कंपनियां और नगर पालिकाएं सीएनजी को बढ़ावा देने के आंदोलन में शामिल हो रही हैं।
- यह वेस्ट टू वेल्थ (कचरे से धन) कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है क्योंकि फसल की पराली का उपयोग बायो-सीएनजी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है जो किसानों को उनके अपने इलाके में बायो-सीएनजी उत्पादन इकाइयों को बेचकर पैसा कमाने में मदद करेगा।
- इससे डीजल की तुलना में कुल कार्बन उत्सर्जन में 70% की कमी आई है।

05 वायनाड वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों

- हाल ही में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आसपास प्रस्तावित इको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive Zone, ESZ) को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

प्रमुख बिन्दु

- 28 जनवरी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना (draft notification) प्रकाशित की थी।
- इस मसौदा अधिसूचना को जारी करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रस्ताव पर जनता से आपत्ति या सुझाव मांगे हैं। जिस पर 60 दिनों की अवधि के भीतर जनता द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत किए जाने हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्तावित ईएसजेड के खिलाफ केरल में प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है।
- हाल ही में, वायनाड जिला पंचायत ने मसौदा अधिसूचना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। कई ब्लॉक पंचायतों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस अधिसूचना को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसमें कहा गया कि यह प्रस्तावित ईएसजेड वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को प्रभावित करेगा।

इको-सेंसिटिव जोन (ESZ)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 'पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986' के अंतर्गत परिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र को 'इको-सेंसिटिव जोन' (Eco-Sensitive Zone,ESZ) घोषित करता है।
- इस संरक्षित क्षेत्र में मुख्यत: औद्योगिक गतिविधियों या पर्यावरण को हानी पाहुचने वाली विशेष परियोजनाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है या पहले से स्थापित औद्योगिक इकाईयों की निगरानी की जाती है।

इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के महत्व

- यह वन्यजीव अभयारण्यों और जंगलों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य कोर संरक्षित में मानव हस्तक्षेप के प्रभाव को कम करना है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य

- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल के वायनाड जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 344.44 वर्ग किमी है।
- विभिन्न प्रकार के बड़े जंगली जानवर जैसे भारतीय बाइसन, हाथी, हिरण और बाघ यहाँ पाए जाते हैं।
- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है।
- 1973 में स्थापित, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य अब नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है।

06 विज्ञान ज्योति कार्यक्रम

चर्चा में क्यों

- विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11 फरवरी 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा "विज्ञान ज्योति कार्यक्रम" के दूसरे चरण की शुरुआत की गयी।

संबंधित जानकारी

- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियों की रुचि बढ़ाने तथा एसटीईएम अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों के माध्यम से उन्हें अपना कैरियर बनाने में मदद करने के लिए देश के 50 और जिलों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के बारे में

- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की एक नई पहल है। इसके तहत एसटीईएम में अपना कैरियर बनाने के लिए मेधावी लड़कियों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु शुरु किया गया है।
- यह कार्यक्रम दिसंबर 2019 से 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और अब इसे वर्ष 2021-22 के लिए 50 और ऐसे विद्यालयों में शुरु कर दिया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करना है।
- साथ ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं को यह समझने में मदद करना है कि वे विज्ञान के क्षेत्र में स्कूल से कॉलेज और उसके बाद शोध से लेकर नौकरी तक कैसे आगे बढ़े।
- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों में छात्र-अभिभावक परामर्श, प्रयोगशालाओं और ज्ञान केंद्रों का दौरा, पार्टनर रोल मॉडल

इंटरैक्शन, विज्ञान शिविर, शैक्षणिक सहायता कक्षाएं, संसाधन सामग्री वितरण और टिंकरिंग गतिविधियाँ शामिल हैं।

- छात्रों को ऑनलाइन शैक्षणिक सहायता से संबंधित गतिविधियों में वीडियो कक्षाएं, अध्ययन सामग्री, दैनिक अभ्यास की समस्याएं और किसी भी तरह की शंकाओं का समाधान करने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से सत्र आयोजित करना शामिल है।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के लाभ

- यह कार्यक्रम एसटीईएम के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान करता है।
- शुरुआती कदम के तौर पर यह कार्यक्रम नौवीं से 12 वीं कक्षा की मेधावी लड़कियों के लिए स्कूल स्तर पर शुरू किया गया है ताकि उन्हें सशक्त बनाकर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एसटीईएम पाठ्यक्रम में शामिल विषयो की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

विज्ञान और प्रद्योगिकी विभाग के अन्य महिला-केंद्रित कार्यक्रम

- डीएसटी विभिन्न महिला-केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। डीएसटी द्वारा संचालित प्रमुख महिला-केंद्रित कार्यक्रम हैं-
- **महिला वैज्ञानिक योजना:** डीएसटी द्वारा यह योजना कैरियर में ब्रेक लेने वाली महिलाओं को दोबारा अवसर देने के लिए संचालित की जा रही है।
- **क्यूरी कार्यक्रम:** एसटीईएम में कैरियर बनाने की इच्छुक महिलाओं के लिए अमरीका में प्रमुख संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय सहयोगपूर्ण अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करने के लिए "क्यूरी कार्यक्रम" का संचालन किया जा रहा है।
- वैज्ञानिक संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए "जीएटीआई कार्यक्रम" भी डीएसटी द्वारा संचालित किए जाने वाले महिला-केंद्रित कार्यक्रमों में शामिल है।
- इसके अलावा डीएसटी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए-आई) और नवाचार को बढ़ावा देने तथा भविष्य में एआई-आधारित नौकरियों के लिए कुशल श्रमशक्ति तैयार करने के लक्ष्य के साथ महिला विश्वविद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशालाएं भी स्थापित की हैं।

07 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन-2021

चर्चा में क्यों

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन-2021(World Sustainable Development Summit-2021) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है।

प्रमुख बिन्दु

- वर्ष 2021 के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन-2021(World Sustainable Development Summit-2021) की थीम 'अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना: सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण'(Redefining our common future: Safe and secure environment for all) है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सम्बोधन के दौरान टेरी (TERI) को बधाई दी और कहा कि ऐसे वैश्विक मंच हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि दो चीजें परिभाषित करेंगी कि आने वाले वक्त में मानवता की विकास यात्रा कैसे सामने आएगी। पहला लोगों का स्वास्थ्य और दूसरा पृथ्वी का स्वास्थ्य। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
- विदित हो कि प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए जलवायु न्याय पर जोर दिया। जलवायु न्याय, ट्रस्टीशिप के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसमें विकास सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुँचता है। इसके अतिरिक्त, जलवायु न्याय का अर्थ विकासशील देशों को विकसित होने के लिए पर्याप्त जगह देना भी है।
- उन्होंने कहा कि भारत पेरिस संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते पर है। भारत 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता 33 से 35 प्रतिशत तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत, भूमि क्षरण तटस्थता संबंधी अपनी प्रतिबद्धता को लेकर लगातार प्रगति कर रहा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा भी रफ्तार पकड़ रही है। हम 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायसंगत पहुंच के बगैर सतत विकास अधूरा है। इस दिशा में भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। मार्च 2019 में, भारत ने लगभग सौ प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया था। उजाला कार्यक्रम के माध्यम से 36.7 करोड़ एलईडी बल्ब लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इसने सालाना 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाया है।
- जल जीवन मिशन ने लगभग 18 महीनों में ही 3.40 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ा है। पीएम उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबी रेखा से नीचे के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों की खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बनी है। उन्होंने कहा, हम भारत के एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए काम कर रहे हैं।
- सतत विकास की दिशा में भारत ने पशु संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच से सात वर्षों में, शेर, बाघ, तेंदुए और गंगा नदी की डॉल्फिन की आबादी बढ़ गई है।
- प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मानव संसाधन के विकास और तकनीक पर ध्यान देने की जरूरत है। कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट

इन्फ्रॉस्ट्रक्चर के साझेदार के रूप में, भारत इस दिशा में कार्य कर रहा है।

सतत विकास शिखर सम्मेलन (World Sustainable Development Summit)

- यह टेरी (TERI) का एक वार्षिक आयोजन है।
- विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नोबेल पुरस्कार विजेताओं, राजनेताओं, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और नागरिक समाज संगठनों आदि को सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साझा मंच पर लाता है।

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute-TERI)

- ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी (टीईआरआई) नई दिल्ली में एक शोध संस्थान है जो ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है।
- इसकी स्थापना 1974 में की गयी थी।
- पहले इसे टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता था। जैसे-जैसे इसकी गतिविधियों का दायरा बढ़ता गया, इसे 2003

में ऊर्जा और संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute-TERI) नाम दिया गया।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01 क्रिप्टोकरेंसी के लिए स्मार्ट विनियमन बेहतर है क्योंकि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विभाजित तकनीकी पर आधारित किसी वस्तु पर प्रतिबंध लगाए जाने को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

02 अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की "वैक्सीन मैत्री" पहल के प्रभाव का उल्लेख कीजिए।

03 वर्तमान में भारत में पर्यटन उद्योग के समक्ष चुनौतियों एवं इन्हे दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गयी पहलों की चर्चा कीजिए।

04 ट्रांस वसा को परिभाषित करते हुए बताएं कि भारत द्वारा खाद्य आपूर्ति से ट्रांस वसा को समाप्त करना कितना मत्वपूर्ण हैं ?

05 बजट 2021-2022 में व्यय की संरचना में किये गए विभिन्न परिवर्तन निवेश में सुधार में सहायक होंगे। विश्लेषण कीजिए।

06 भारत में जैविक फसल पैटर्न को प्रोत्साहित करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? चर्चा करें।

07 बेनामी लेनदेन अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? उल्लेख करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 किस संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ गूगल मानचित्र का विकल्प बनाने के लिए समझौता किया है?

मैप माई इंडिया

02 किस राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा' छात्रवृत्ति योजना शुरू की है?

दिल्ली

03 किस राज्य ने अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए डाकुओं पर आधारित एक पुलिस संग्रहालय शुरू किया है? –

मध्य प्रदेश

04 'वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया–2020' की विजेता कौन है?

मानसा वाराणसी

05 किस देश के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी 'थ्री–फिंगर सेल्यूट' का उपयोग कर रहे हैं?

म्यांमार

06 किस देश ने कोरोनावायरस महामारी के बीच यात्रा प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए एक नए 'डिजिटल कोरोना पासपोर्ट' की घोषणा की है?

डेनमार्क

07 किस देश ने भारत के साथ लालंदर (शातूत) बांध बनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है?

अफगानिस्तान

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01 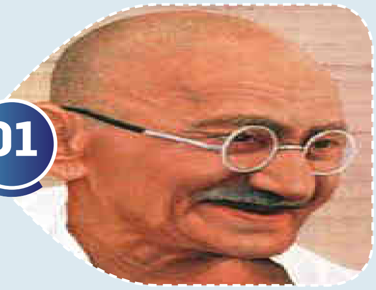

03

05

01 व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है।

महात्मा गांधी

02 इस देश को लेकर मेरी एक दृष्टि है; ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो।

अटल बिहारी वाजपेयी

03 मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है और दूसरों को उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है।

प्लेटो

04 हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए।

अब्दुल कलाम

05 मनुष्य अपनी सबसे अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे उदार होता है, लेकिन यदि कानून और न्याय ना हों तो वो सबसे खराब बन जाता है।

अरस्तु

06 आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी है, जिससे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ सके।

लाल बहादुर शास्त्री

07 जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते, तब तक आप असफल नहीं होते।

अल्बर्ट आइंस्टाईन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

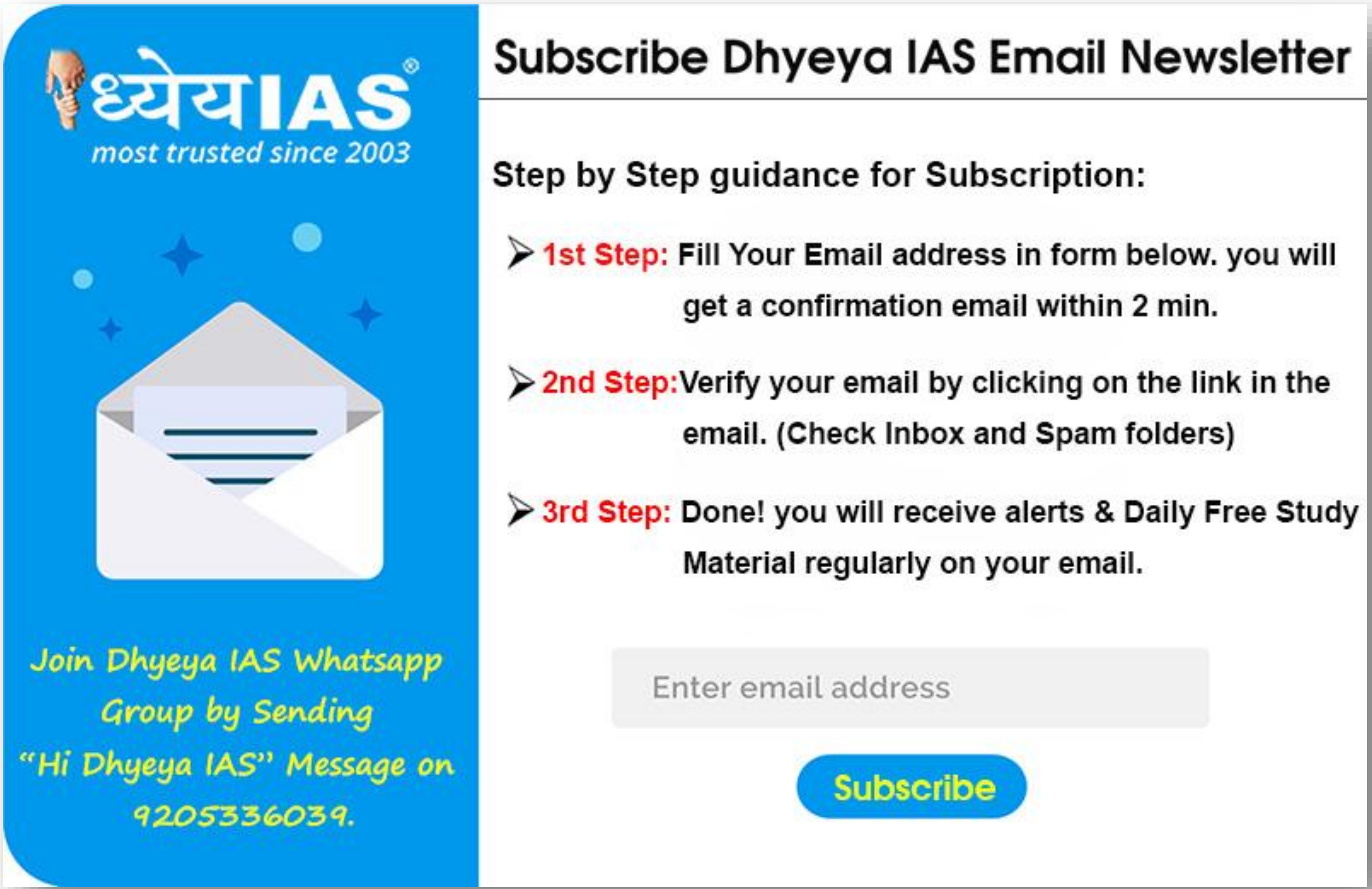

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com